

राज्य शासन के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों के आधार पर पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का विश्लेषण करता है, वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समस्त प्रवृत्ति, राज्य के ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे लेन–देनों का राज्य वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वर्ष 2021–22 के सापेक्ष में वर्ष 2022–23 के दौरान मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.1: वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 में मुख्य राजकोषीय संकेतकों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 17.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 22.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ करेतर राजस्व में 10.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ राज्य के संघीय करों एवं शुल्कों में 13.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 29.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राजस्व व्यय में 13.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 13.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 20.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सहायता अनुदान और योगदान पर व्यय में 2.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूँजीगत प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 29.54 प्रतिशत की कमी हुई ➤ गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 32.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ पूँजीगत प्राप्तियाँ में 14.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूँजीगत व्यय में 26.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 114.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 54.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 9.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋणों तथा अग्रिमों	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋण तथा अग्रिमों के संवितरणों में 73.47 प्रतिशत की कमी हुई ➤ ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियों में 33.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियों में 29.54 प्रतिशत की कमी हुई ➤ लोक ऋण अदायगी में 8.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियों में 13.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ लोक लेखा संवितरणों में 11.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश में 18.88 प्रतिशत की कमी हुई

उपरोक्त प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

2.2 निधियों के स्रोत और उपयोग


तालिका 2.2 में वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य की निधि के स्रोतों और उपयोग की तुलना वर्ष 2021–22 के साथ की गई जबकि चार्ट 2.1 और 2.2 वर्ष 2022–23 के दौरान समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत रूप में देते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)


	विवरण	2021–22	2022–23	वृद्धि (+)/कमी (-)
स्रोत	प्रारंभिक रोकड़ शेष ¹	9,461.37	9,921.62	460.25
	राजस्व प्राप्तियाँ	79,652.03	93,877.14	14,225.11
	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.89	5.60	0.71
	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	88.06	117.52	29.46
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-)0.04	(-)0.28	(-)0.24
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	6,252.98	1,038.02	(-)5,214.96
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	300.37	1,779.54	1,479.17
	योग	95,759.66	106,739.16	10,979.50
उपयोग	राजस्व व्यय	75,010.01	85,285.03	10,275.02
	पूँजीगत व्यय	10,504.22	13,320.30	2,816.08
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	324.06	85.96	(-)238.10
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-)0.25	(-)0.10	0.15
	अंतिम रोकड़ शेष	9,921.62	8,047.97	(-)1,873.65
	योग	95,759.66	106,739.16	10,979.50

स्रोत : वित्त लेखे 2021–22 एवं 2022–23

चार्ट 2.1: संसाधनों का स्रोत (प्रतिशत)



चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग (प्रतिशत)



स्रोत : वित्त लेखे 2022–23

नोट: ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, पूँजीगत प्राप्तियाँ, अंतर्राज्यीय परिशोधन एवं निवल रोकड़ शेष अन्य में शामिल हैं।

¹ प्रारंभिक / अंतिम रोकड़ शेष में रोकड़ शेष, रोकड़ शेष और निर्धारित फंड का निवेश शामिल हैं।


2.3 राज्य के संसाधन

- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व और संघों के करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित है।
- पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा है।
- निवल लोक लेखे प्राप्तियों:** कुछ प्राप्तियाँ और संवितरण संबंधित लेने—देन होते हैं, जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती। यह संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखी जाती है और राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां शासन बैंकर के समान कार्य करती है। संवितरण के बाद निधि की शेष राशि शासन के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

चार्ट 2.3 समग्र प्राप्तियों की संरचना को प्रस्तुत करता है। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ के अलावा, लोक लेखें में उपलब्ध धन (इससे किये गये संवितरण का निवल) भी शासन द्वारा वित्त घाटे को पूरा करने के लिए का उपयोग किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

2.3.2 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर और करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2018–23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियाँ की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ–साथ राजस्व उत्पादकता को तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	राजस्व प्राप्तियाँ	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.14
2	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.13	(–)1.88	(–)1.08	26.08	17.86
3	कर राजस्व	44,885.95	42,323.69	43,226.74	55,654.52	65,480.57
4	स्वयं के कर राजस्व	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	27,083.73
5	केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	23,458.69	20,205.84	20,337.54	28,570.79	32,358.26
6	करेतर राजस्व	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21	13,851.21
7	भारत सरकार से अनुदान सहायता	12,505.95	13,611.24	12,812.49	10,146.30	13,148.33
8	भारत सरकार से अनुदान सहायता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(–)1.19	8.84	(–)5.87	(–)20.81	29.59
9	स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व) (4) + (6)	29,130.28	30,051.62	30,026.15	40,934.94	48,370.55
10	स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.04	3.16	(–)0.08	36.33	18.16
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,27,107	3,44,648	3,47,752 ^{ग्र}	4,06,416 ^{ग्र}	4,57,608 ^{ग्र}
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60
13	राजस्व प्राप्तियाँ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.90	18.53	18.17	19.60	20.51
उत्पादकता अनुपात ²						
14	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता	0.57	–*	–*	1.55	1.42
15	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व उत्पादकता	0.69	0.59	–*	2.15	1.44

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य अ–अग्रिम अनुमान त्व–त्वरित अनुमान प्रा–प्रावधिक अनुमान

*नकारात्मक वृद्धि दर के कारण उत्पादकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकती।

तालिका 2.3 से देखा जा सकता है कि राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2018–19 में ₹65,094.93 करोड़ से ₹28,782.21 करोड़ बढ़कर वर्ष 2022–23 के दौरान ₹93,877.14 करोड़ हो गई। वर्ष 2022–23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹14,225.11 करोड़ (17.86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण कर राजस्व की प्राप्तियों में ₹9,826.05 करोड़ (17.66 प्रतिशत), भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹3,002.03 करोड़ (29.59 प्रतिशत) और करेतर राजस्व में ₹1,397.03 करोड़ (10.09 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।

² उत्पादकता अनुपात किसी राजकोषीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा कोटि को दर्शाता है।


वर्ष 2018–19 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 45 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 55 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 52 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ, जबकि 48 प्रतिशत केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान का सम्मिलित योगदान रहा।

वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में 19 प्रतिशत की कमी आई। हालाँकि, वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 में इसमें ₹3,002.03 करोड़ (29.59 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

राजस्व उत्पादकता, राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत परिवर्तन को जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, जीएसडीपी के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता 2018–19 में 0.57 से बढ़कर 2022–23 में 1.42 हो गया। जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की अपनी राजस्व उत्पादकता भी 2018–19 के 0.69 से बढ़कर 2022–23 में 1.44 हो गई।


जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के प्रवृत्ति और राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट 2.4 और 2.5 में दी गई है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह तथा योजनाओं के लिए आशातीत केन्द्रीय सहायता के मात्रा पर निर्धारित होता है। अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर तथा करेतर स्रोत अनुसार किया जाना चाहिए।

वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं के कर और करेतर राजस्व प्राप्तियाँ तालिका 2.4 में दर्शायी गई हैं।

तालिका 2.4: वर्ष 2018–23 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व/करेतर राजस्व का विकास

क्र. सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.31
2	वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.70	3.22	3.49	18.33	22.30
3	करेतर राजस्व (₹ करोड़ में)	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21	15,248.24
4	वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.49	3.00	(−)10.04	94.08	10.09


स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर में 2019–23 के दौरान 3.22 प्रतिशत से लेकर 22.30 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई और 2021–22 में ₹27,083.73 करोड़ से ₹6,038.58 करोड़ (22.30 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 2022–23 में ₹33,122.31 करोड़ हो गई।
- 2018–23 के दौरान करेतर राजस्व की वृद्धि दर में (−)10.04 प्रतिशत से लेकर 94.08 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति का रुझान दिखा। 2018–19 से 2022–23 तक करेतर राजस्व में 98 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, हालांकि, यह 2021–22 में ₹13,851.21 करोड़ से ₹1,397.03 करोड़ (10.09 प्रतिशत) बढ़कर 2022–23 में ₹15,248.24 करोड़ हो गया।

(अ) स्वयं के कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं। वर्ष 2018–23 में पाँच वर्षों के दौरान राज्य की स्वयं के कर राजस्व का विवरण चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2018–23 के दौरान स्वयं के कर राजस्व का वृद्धि दर



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2018–23 तक पाँच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का घटक–वार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2018–23 के दौरान घटक–वार स्वयं के कर राजस्व

क्र. सं.	शीर्ष	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2021–22 की तुलना में 2022–23 में % वृद्धि (+) / कमी (-)
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,087.72	3,931.37	4,236.04	5,341.10	6,450.03	20.76
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	8,203.41	7,894.82	7,925.01	9,483.48	11,298.14	19.13
3	राज्य उत्पाद शुल्क	4,489.03	4,952.36	4,635.80	5,106.61	6,782.70	32.82
4	वाहनों पर कर	1,204.85	1,274.85	1,148.07	1,372.51	1,756.62	27.99
5	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,108.46	1,634.63	1,584.94	1,945.36	2,228.64	14.56
6	भू-राजस्व	487.57	551.50	937.71	949.94	868.56	(-)8.57
7	माल एवं यात्रियों पर कर	54.51	40.51	79.83	47.90	59.60	24.43
8	विद्युत कर तथा शुल्क	1,790.27	1,837.00	2,341.41	2,836.05	3,676.97	29.65
9	अन्य कर ³	1.44	0.81	0.39	0.78	1.05	33.33
योग		21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.31	22.30

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- राज्य का स्वयं के कर राजस्व वर्ष 2018–19 में ₹21,427.26 करोड़ से ₹11,695.05 करोड़ (54.58 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹33,122.31 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, स्वयं के कर राजस्व में ₹6,038.58 करोड़ (22.30 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹1,814.66 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹1,676.09 करोड़) तथा बिक्री, व्यापार आदि पर कर

³ अन्य करों में होटल प्राप्ति कर और आय और व्यय पर अन्य कर शामिल हैं।

(₹1,108.93 करोड़) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग (₹829.45 करोड़) और आईजीएसटी का विभाजन—कर घटक का एसजीएसटी में स्थानांतरण (₹553.29 करोड़) के तहत प्राप्ति में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा, राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि आबकारी विभाग द्वारा अवैध शाराब की बिक्री पर नियंत्रण और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड द्वारा शाराब दुकानों के कुशल प्रबंधन के कारण हुई। बिक्री, व्यापार आदि पर करों में वृद्धि का कारण अधिक पेट्रोलियम उत्पादों की खपत थी।
- वर्ष 2022–23 में ₹33,122.30 करोड़ के कुल स्वयं के कर राजस्व में से, राज्य वस्तु एवं सेवा करों द्वारा 34 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क द्वारा 20 प्रतिशत तथा बिक्री, व्यापार आदि पर करों के द्वारा 19 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2022–23 के दौरान, अनुमानित एसजीएसटी ₹11,064.45 करोड़ था जिसके मुकाबले वास्तविक संग्रह ₹11,298.14 करोड़ था जो अनुमान से 1.98 प्रतिशत अधिक था।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर

आरबीआई की पुस्तकों के अनुसार, एसजीएसटी की राशि ₹7,488.99 करोड़ थी और वित्त लेखे 2022–23 के अनुसार एसजीएसटी (एमएच-0006) की राशि ₹11,298.14 करोड़ थी। ₹3,809.15 करोड़ का अंतर भारत सरकार से सीधे प्राप्त मंजूरी के आधार पर वित्त खातों में दर्ज लघु शीर्ष 105,106,107 और 110 (₹3,928.65 करोड़) के आंकड़ों, भारत सरकार से प्राप्त (–)₹119.23 करोड़ की एसजीएसटी रिफंड मंजूरी और वर्ष 2022–23 में बुक की गई पिछले वर्ष 2021–22 से संबंधित राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के (–)₹0.28 करोड़ के लिए समायोजन प्रविष्टियाँ के कारण है।

(ब) करेतर राजस्व

करेतर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2018–23 के दौरान घटक वार करेतर राजस्व प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार था।

तालिका 2.6: वर्ष 2018–23 के दौरान घटक वार करेतर राजस्व

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	(₹ करोड़ में)	वर्ष 2021–22 की तुलना में 2022–23 में % वृद्धि (+)/ कमी (-)
1	ब्याज प्राप्तियाँ	189.55	232.41	89.77	137.96	200.75		45.51
2	लाभांश और लाभ	1.49	2.39	2.29	3.64	6.20		71.43
3	अन्य करेतर प्राप्तियाँ	7,511.98	7,698.97	7,044.89	13,709.61	15,041.29		9.71
i	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	6,110.24	6,195.73	5,538.49	12,305.39	12,941.33		5.17
ii	वानिकी तथा वन्य जीव	236.73	249.37	277.09	346.90	856.04		146.77
iii	वृहद् सिंचाई	521.81	437.04	445.91	418.17	412.88		(–)1.27
iv	लघु सिंचाई	164.06	287.54	232.72	140.60	311.86		121.81
v	अन्य	479.14	529.29	550.68	495.55	519.18		4.13
योग		7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21	15,248.24		10.09

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


- कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियां ₹7,545.22 करोड़ (97.95 प्रतिशत) बढ़कर 2018–19 में ₹7,703.02 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹15,248.24 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 के दौरान करेत्तर राजस्व में ₹1,397.03 करोड़ (10.09 प्रतिशत) की वृद्धि का मुख्य कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत प्राप्तियों में ₹635.94 करोड़ और वानिकी और वन्यजीव के तहत ₹509.14 करोड़ की वृद्धि है।
- अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों में वृद्धि कोयला और लौह अयस्क खनिजों के उत्पादन में वृद्धि और लौह अयस्क से 150 प्रतिशत अतिरिक्त रॉयल्टी की प्राप्ति और रेत के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा, वानिकी और वन्य जीवन में वृद्धि वन क्षेत्रों में लौह अयस्क और खनिजों के परिवहन शुल्क को ₹15 से ₹57 तक बदलने और लंबित परिवहन परमिट की वसूली के कारण हुई।

2.3.2.3 केंद्र से निधियों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार से निधि का हस्तांतरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है। राज्य को वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केंद्रीय करों और सहायता अनुदान (जीआईए) में अपने हिस्से के अलावा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) / अन्य अनुदानों के तहत जीआईए प्राप्त होता है। दस वर्ष की अवधि 2013–23 के दौरान इस संबंध में प्रवृत्ति चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015–16 के बाद से केंद्र से धन के हस्तांतरण में वृद्धि हुई है, क्योंकि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 से करों के विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत करने की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

केंद्र से हस्तान्तरण वर्ष 2013–14 में ₹12,606 करोड़ से ₹32,900 करोड़ बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹45,506 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, केंद्र से हस्तान्तरण वर्ष 2021–22 में ₹38,717 करोड़ से ₹6,789 करोड़ बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹45,506 करोड़ हो गया।

(अ) केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

वर्ष 2018–23 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	5,789.33	5,733.71	6,068.90	8,628.50	9,142.17
2	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	निगम कर	8,157.09	6,889.42	6,117.65	7,699.82	10,851.70
4	निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,007.35	5,398.34	6,269.51	8,887.95	10,589.64
5	सीमा शुल्क	1,662.66	1,280.78	1,097.20	2,017.68	1,271.87
6	संघ उत्पाद शुल्क	1,104.93	890.49	686.04	1,009.06	399.02
7	सेवा कर	217.76	0.00	84.52	296.68	50.61
8	अन्य कर	57.57	13.10	13.72	31.10	53.25
9	केन्द्रीय कर हस्तान्तरण	23,458.69	20,205.84	20,337.54	28,570.79	32,358.26
10	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	13.03	(-)13.87	0.65	40.48	13.26
11	राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तान्तरण का प्रतिशत	36.04	31.64	32.19	35.87	34.47

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2018–23 में, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण वर्ष 2018–19 में ₹23,458.69 करोड़ से ₹8,899.67 करोड़ (37.94 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹32,358.26 करोड़ हो गया। वर्ष 2018–23 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तान्तरण की वृद्धि दर में (-)13.87 प्रतिशत से लेकर 40.48 प्रतिशत तक उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022–23 में केन्द्रीय कर हस्तान्तरण में ₹3,787.47 करोड़ (13.26 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर (₹3,151.88 करोड़) तथा निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹1,701.69 करोड़) के तहत राज्य को सौंपी गई शुद्ध आय में वृद्धि के कारण हुई।

(ब) भारत सरकार से सहायता अनुदान

राज्य शासन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सहायता अनुदान और केन्द्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा प्राप्त करती है। वर्ष 2018–23 के दौरान राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिये अनुदान	8,214.77	7,808.24	6,975.55	6,170.60	8,712.52
2	वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	1,679.48	2,044.75	2,289.50	2,379.80	1,772.80
3	अन्य हस्तान्तरण/राज्यों को अनुदान	2,611.70	3,758.25	3,547.44	1,595.90	2,663.01
योग		12,505.95	13,611.24	12,812.49	10,146.30	13,148.33

क्र. सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
4	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	(–)1.19	8.84	(–)5.87	(–)20.81	29.59
5	राजस्व प्राप्तियाँ	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.14
6	राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल सहायता अनुदान	19.21	21.31	20.28	12.74	14.01

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022–23 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण राजस्व प्राप्तियों का 14 प्रतिशत रहा। इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों में जीआईए का योगदान 2018–19 में 19 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 14 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान राज्य को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान (₹8,712.52 करोड़) कुल अनुदान का 66 प्रतिशत रहा। राज्य को वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान (₹1,772.80 करोड़) स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि के लिये प्रदान किया गया जो कि वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 13 प्रतिशत रहा। भारत सरकार से राज्य को अन्य अनुदान (₹2,663.01 करोड़) में ₹2,438.72 करोड़ का जीएसटी क्षतिपूर्ति शामिल है जो अन्य हस्तांतरण/अनुदान का 92 प्रतिशत था।

वर्ष 2022–23 के दौरान भारत सरकार से मिलने वाले सहायता अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में ₹3,002.03 करोड़ (29.59 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान की प्राप्ति में ₹2,541.92 करोड़ और राज्य को अन्य हस्तांतरण/अनुदान के तहत जीएसटी मुआवजा में ₹1,221.86 करोड़ की कमी के कारण हुई।

एकल नोडल एजेंसी:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या I(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23–03–2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निधि जारी करने और एसएनए के माध्यम से जारी निधि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित किया था। प्रत्येक सीएसएस के लिए, एसएनए को राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में बैंक खाते के साथ स्थापित किया जाना था। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित एसएनए के खाते में स्थानांतरित करना था।

राज्य शासन को वर्ष 2022–23 के दौरान अपने ट्रेजरी खातों में केंद्रांश के रूप में ₹8,243.27 करोड़ प्राप्त हुए। आनुपातिक राज्य का हिस्सा ₹6,842.27 करोड़ था। 31 मार्च 2023 तक, राज्य शासन ने केंद्र का हिस्सा ₹7,302.41 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹6,431.54 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। पीएफएमएस पोर्टल की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹7,244.42 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

वित्त खाते के अनुसार, वर्ष के दौरान राज्य शासन को केंद्रांश के रूप में ₹8,709.39 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने केंद्रीय हिस्से का ₹7,820.21 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹6,942.22 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। ₹14,762.43 करोड़ के कुल हस्तांतरण में से, ₹2.93 करोड़ एसी बिलों के माध्यम से, ₹9,239.73 करोड़ जीआईए बिलों के माध्यम से, ₹3,363.57 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से और ₹2,156.20 करोड़ अन्य के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। वित्त खाते और पीएफएमएस के आंकड़ों में अंतर का मिलान किया जा रहा है।

ओएम दिनांक 30.06.2021 के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र के हिस्से की अव्ययित राशि पर अर्जित ब्याज भारत के समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए। वर्ष 2022–23 के दौरान, केंद्र प्रायोजित

योजना में केंद्र के हिस्से की अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज की ₹22.80 करोड़ की राशि को भारत सरकार के समेकित निधि में जमा करने के बजाय राज्य के समेकित निधि में जमा किया गया था। इस प्रकार राज्य की समेकित निधि में ₹22.80 करोड़ जमा करने के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्ति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।

(क) पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

भारत सरकार ने राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान प्रदान किया। वर्ष 2022–23 के दौरान इस संबंध में भारत सरकार से राज्य शासन को प्रदत्त अनुदान का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा 2022–23 के दौरान जारी

सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	हस्तांतरण	पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा 2022–23 में जारी अनुदान
स्थानीय निकाय			
1	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	1,114.00	1,114.00
(अ)	मूल/संयुक्त अनुदान	445.60	445.60
(ब)	निष्पादन/बंधित अनुदान	668.40	668.40
2	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	549.00	477.20
(अ)	मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	169.00	179.70*
(ब)	नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	380.00	297.50*
3	स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य अनुदान	339.00	0.00
4	स्थानीय निकायों का योग	2,002.00	1,591.20
5	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)	454.00	181.60
(अ)	एसडीआरएफ	363.20	181.60
(ब)	एसडीएमएफ	90.80	0.00
6	कुल योग	2,456.00	1,772.80

स्रोत: वित्त लेखे 2022–23 तथा पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन

#वर्ष 2021–22 से संबंधित ₹109 करोड़ जो भारत सरकार द्वारा 2022–23 में जारी किए गए और ₹14.70 करोड़ 2022–23 में प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त हुए शामिल हैं।

* 2022–23 में भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2021–22 से संबंधित ₹183.50 करोड़ शामिल हैं।

- मार्च 2023 तक, राज्य शासन को 2022–23 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के सापेक्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संपूर्ण अनुदान (मूल अनुदान ₹445.60 करोड़ और बंधित अनुदान ₹668.40 करोड़) प्राप्त हुआ।
- राज्य शासन को वर्ष 2022–23 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की ₹549.00 करोड़ की सिफारिश के सापेक्ष में शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹170.00 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष 2021–22 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के सापेक्ष में शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹292.50 करोड़ का अनुदान वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त हुआ था। राज्य शासन को वर्ष 2022–23 में भारत सरकार से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों/यूए के लिए प्रोत्साहन के रूप में ₹14.70 करोड़ का अनुदान भी प्राप्त हुआ।

वर्ष 2022–23 के दौरान ₹339 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

- राज्य शासन को 2022–23 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की एसडीआरएमएफ सिफारिश (₹454.00 करोड़) के मुकाबले राज्य आपदा राहत निधि के केंद्र के हिस्से के रूप में ₹181.60 करोड़ प्राप्त हुए।

2.3.3 पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजी प्राप्तियाँ शामिल हैं जैसे विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और ऋण और अग्रिम के रूप में भारत सरकार से प्राप्तियाँ।

निम्न तालिका वर्ष 2018–19 से 2022–23 के लिए पूँजीगत अनुभाग में प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना के प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.10: पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पूँजीगत अनुभाग के तहत राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	5.26	4.70	4.85	4.89	5.60
2	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	162.32	256.78	104.80	88.06	117.52
3	अंतर्राज्यीय परिशेष्ठन	0.56	0.13	(-)0.67	(-)0.04	(-)0.28
4	गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ)	168.14	261.61	108.98	92.91	122.84
5	आंतरिक ऋण	13,816.66	19,308.36	17,961.37	9,321.77	6,938.61
6	वृद्धि दर (प्रतिशत)	50.38	39.75	(-)6.98	(-)48.10	(-)25.57
7	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	553.44	279.17	3,620.31	5,776.51	3,700.13
8	वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.13	(-)49.56	1,196.81	59.56	(-)35.95
9	लोक ऋण प्राप्तियाँ (ब)	14,370.10	19,587.53	21,581.68	15,098.28	10,638.74
10	पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ (अ+ब)	14,538.24	19,849.14	21,690.66	15,191.19	10,761.58
11	गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.46	55.59	(-)58.34	(-)14.75	32.21
12	पूँजीगत प्राप्तियों अनुभाग के अंतर्गत लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	48.88	36.31	10.18	(-)30.04	(-)29.54
13	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60
14	पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	48.42	36.53	9.28	(-)29.96	(-)29.16

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ वर्ष 2018–19 में ₹14,538.24 करोड़ से ₹3,776.66 करोड़ (25.98 प्रतिशत) घटकर 2022–23 में ₹10,761.58 करोड़ हो गया। वर्ष 2022–23 के दौरान, पूँजीगत अनुभाग प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹4,429.61 करोड़ (29.16 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से लोक ऋण प्राप्तियों यानी आंतरिक ऋण में ₹2,383.16 करोड़ (25.57 प्रतिशत) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में ₹2,076.38 करोड़ (35.95 प्रतिशत) की कमी के कारण आई।

गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियाँ, मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूली के रूप में, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022–23 में ₹29.46 करोड़ (33.45 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों जिसमें स्वयं के कर और करेतर राजस्व स्रोत शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2022–23 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व का विवरण तालिका 2.11 में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: कर और करेतर प्राप्तियाँ के सापेक्ष अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन	
					पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान
1	स्वयं के कर राजस्व	26,410.00	29,000.00	33,122.31	25.42	14.21
2	करेतर राजस्व	9,629.00	15,500.00	15,248.24	58.36	(-)1.62
	योग	36,039.00	44,500.00	48,370.55	34.22	8.70

स्रोत: वित्त लेखे, बजट बुक तथा वित्त आयोग प्रतिवेदन

राज्य शासन ने स्वयं के कर राजस्व जुटाने में पंद्रहवें वित्त आयोग और बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध अपेक्षाओं को पूरा करने में क्रमशः 25.42 प्रतिशत और 14.21 प्रतिशत जुटाने में सफल रहा। हालाँकि, यह अपने ही बजट अनुमान में निर्धारित करेतर राजस्व लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका और 1.62 प्रतिशत कम रहा। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि (₹4,122.31 करोड़) मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि पर करों में ₹1,520.71 करोड़ और बिजली पर कर और शुल्क ₹826.97 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। इसी प्रकार, करेतर राजस्व में ₹251.76 करोड़ की कमी मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में वृहद् सिंचाई के तहत ₹275.20 करोड़ और ब्याज प्राप्तियों के तहत ₹61.91 करोड़ की कम प्राप्तियों के कारण हुई।

2.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य शासन को राजकोषीय जिम्मेदारी विधायी के ढांचे के भीतर व्यय का उत्तरदायित्व निहित है, जबकि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया पूँजीगत अधोसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर न हो।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल व्यय, इसकी संरचना और सापेक्ष हिस्सेदारी तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (बजट अनुमान)	2022–23 (वास्तविक)
1	कुल व्यय	73,555.31	82,099.86	79,107.54	85,838.04	1,04,000.03	98,691.19
2	राजस्व व्यय	64,411.17	73,477.31	70,032.84	75,010.01	88,371.61	85,285.03
3	पूँजीगत व्यय	8,903.45	8,566.39	9,024.19	10,504.22	15,240.69	13,320.30
4	ऋण एवं अग्रिम ⁴	240.69	56.16	50.51	323.81	387.73	85.86
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर	3,27,107	3,44,648	3,47,752	4,06,416	4,38,478	4,57,608
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में						
7	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.49	23.82	22.75	21.12	23.72	21.57
8	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.69	21.32	20.14	18.46	20.15	18.64
9	पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.72	2.49	2.60	2.58	3.48	2.91
10	ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.07	0.02	0.01	0.08	0.09	0.02

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.12 से पता चलता है कि राज्य का कुल व्यय 2018–19 में ₹73,555.31 करोड़ से ₹25,135.88 करोड़ (34.17 प्रतिशत) बढ़कर 2022–23 में ₹98,691.19 करोड़ हो गया। वर्ष 2020–21 को छोड़कर, 2018–23 के दौरान कुल व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। हालांकि, इसी अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 22.49 प्रतिशत से घटकर 21.57 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष के दौरान, कुल व्यय में ₹12,853.15 करोड़ (14.97 प्रतिशत) की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में ₹10,275.02 करोड़ (13.70 प्रतिशत) और पूँजीगत व्यय में ₹2,816.08 करोड़ (26.81 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।


वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व, पूँजीगत और ऋण एवं अग्रिम पर वास्तविक व्यय बजटीय अनुमान से कम था। बजट अनुमानों से विचलन सरकार के नियंत्रण के भीतर और बाहर, विभिन्न कारणों से वांछित वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति न होने का संकेत है।

इसके अलावा, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 18.46 प्रतिशत से बढ़कर 18.64 प्रतिशत हो गया है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय में 2018–19 (2.72 प्रतिशत) से 2021–22 (2.58 प्रतिशत) तक गिरावट देखी गई, हालांकि 2022–23 में यह बढ़कर 2.91 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 2.8 कुल व्यय में घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

⁴ अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण और अग्रिम

**चार्ट 2.8: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति
(प्रतिशत में)**



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.8 से पता चलता है कि 2018–23 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रमुख अनुपात (86.41 प्रतिशत से 89.50 प्रतिशत) था। दूसरी ओर, पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 10.43 प्रतिशत से 13.50 प्रतिशत के बीच था।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय (परिशिष्ट 2.1) में ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य पर व्यय शामिल है। इन घटकों पर सापेक्ष व्यय तालिका 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	सामान्य सेवायें	15,535.80	19,289.82	20,095.21	21,727.03	23,579.86
2	सामाजिक सेवायें	25,319.17	28,610.12	28,001.32	31,382.55	36,842.83
3	आर्थिक सेवायें	31,804.93	33,079.55	29,885.69	31,615.95	37,126.03
4	अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और अंतर्राज्यीय परिशोधन)	895.41	1,120.37	1,125.32	1,112.51	1,142.47
कुल व्यय		73,555.31	82,099.86	79,107.54	85,838.04	98,691.19

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- सामान्य सेवाओं पर व्यय 2021–22 में ₹21,727.03 करोड़ से ₹1,852.83 करोड़ (8.53 प्रतिशत) बढ़कर 2022–23 में ₹23,579.86 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण पुलिस पर ₹406.69 करोड़ और सार्वजनिक कार्यों पर ₹262.43 करोड़ की वृद्धि है।
- चालू वर्ष के दौरान, सामाजिक सेवाओं में व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹5,460.28 करोड़ (17.40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण सामान्य शिक्षा में ₹2,133.79 करोड़, जल आपूर्ति और स्वच्छता में ₹1,164.56 करोड़ और आवास में ₹1,064.19 करोड़ की वृद्धि है।
- पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं में व्यय में ₹5,510.08 करोड़ (17.43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण फसल पालन पर ₹1,643.76 करोड़, खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग पर ₹1,615.68 करोड़ और बिजली पर ₹1,265.04 करोड़ की वृद्धि है।

चार्ट 2.9: गतिविधियों द्वारा कुल व्यय

(प्रतिशत में)




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि चार्ट 2.9 से देखा जा सकता है, कुल व्यय में सामाजिक सेवा व्यय की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है जो 2018-19 में 34.42 प्रतिशत से 2022-23 में 37.33 प्रतिशत हो गई है। कुल व्यय में सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी 2018-19 में 21.12 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 23.89 प्रतिशत हो गई, जबकि आर्थिक सेवाएँ इसी अवधि के दौरान 43.24 प्रतिशत से घटकर 37.62 प्रतिशत हो गईं। 2022-23 के दौरान कुल व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 74.95 प्रतिशत था। चार्ट 2.10, 2022-23 के दौरान व्यय की संरचना को दर्शाता है।

चार्ट 2.10: 2022-23 के दौरान कुल व्यय की संरचना

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

चार्ट 2.10 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के तहत राजस्व व्यय कुल व्यय का 32.24 प्रतिशत सबसे अधिक था, इसके बाद आर्थिक सेवाओं में 29.89 प्रतिशत और सामान्य

सेवाओं में 23.13 प्रतिशत था। पूँजीगत व्यय, सामान्य सेवाओं पर 0.76 प्रतिशत, सामाजिक सेवाओं पर 5.05 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं पर 7.68 प्रतिशत और वितरित ऋण और अग्रिम कुल व्यय का 0.09 प्रतिशत था।

2.4.2 राजस्व व्यय

पूर्व के दायित्वों के भुगतान एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार यह राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा तंत्र की किसी भी तरह से वृद्धि नहीं करता है। कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय और इसकी कुल व्यय का अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उत्पावकता का उल्लेख तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: राजस्व व्यय—मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	कुल व्यय	73,555.31	82,099.86	79,107.54	85,838.04	98,691.19
2	राजस्व व्यय	64,411.17	73,477.31	70,032.84	75,010.01	85,285.03
3	राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.55	14.08	(-)4.69	7.11	13.70
4	राजस्व व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	87.57	89.50	88.53	87.39	86.42
5	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.69	21.32	20.14	18.46	18.64
6	राजस्व प्राप्तियाँ	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.14
7	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.13	(-)1.88	(-)1.08	26.08	17.86
8	राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	98.95	115.04	110.85	94.17	90.85
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60
राजस्व व्यय का उत्पावकता अनुपात						
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से	0.92	2.63	-*	0.42	1.09

ओत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* 2020–21 में राजस्व व्यय वृद्धि नकारात्मक होने के कारण उत्पावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकती।


राजस्व व्यय 2018–19 में ₹64,411.17 करोड़ से ₹20,873.86 करोड़ (32.41 प्रतिशत) बढ़कर 2022–23 में ₹85,285.03 करोड़ हो गया। हालाँकि, पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 में इसमें ₹10,275.02 करोड़ (13.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सामान्य शिक्षा (₹2,037.23 करोड़), खाद्य भंडारण और भाण्डागार (₹1,704.48 करोड़) और फसल पालन (₹1,623.46 करोड़) के तहत व्यय में वृद्धि है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2018–19 में 19.69 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 18.64 प्रतिशत हो गया।

जीएसडीपी के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्पावकता, जो वर्ष 2021–22 में 0.42 था, वर्ष 2022–23 में बढ़कर 1.09 हो गया है।

राजस्व व्यय ने 2020–21 को छोड़कर, जिसमें इसने (−)4.69 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है, पिछले दस वर्षों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया है। वर्ष 2013–14 से 2022–23 तक पिछले दस साल की अवधि के दौरान राजस्व व्यय का सीएजीआर 10.01 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय की प्रवृत्ति, बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में राजस्व व्यय




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2018–19 से 2022–23 में राजस्व व्यय बजटीय अनुमानों के भीतर था। वर्ष 2018–19 से 2019–20 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। हालाँकि, 2020–22 के दौरान इसमें गिरावट का रुझान दिखा और 2019–20 में 21.32 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 18.64 प्रतिशत हो गया।

राजस्व व्यय का क्षेत्रीय वितरण चार्ट 2.12 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



स्रोत: वर्ष 2022–23 के वित्त लेखे

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

राजस्व व्यय 2021–22 में ₹75,010.01 करोड़ से ₹10,275.02 करोड़ (13.70 प्रतिशत) बढ़कर 2022–23 में ₹85,285.03 करोड़ हो गया। तालिका 2.15 में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षकों के तहत महत्वपूर्ण विविधता का विवरण दिया गया है।

तालिका 2.15: राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2021–22	2022–23	वृद्धि (+)/कमी (-)
1	2202—सामान्य शिक्षा	15,332.29	17,369.52	2,037.23
2	2408—खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार	4,207.10	5,911.58	1,704.48
3	2401—फसल कृषि कर्म	7,361.58	8,985.04	1,623.46
4	2801—विद्युत	3,800.00	5,262.19	1,462.19
5	2216—आवास	230.50	1,246.65	1,016.15
6	2217—शहरी विकास	1,649.46	2,639.98	990.52
7	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	5,956.21	5,624.24	(-)331.97
8	2505—ग्रामीण रोजगार	1,601.31	1,332.20	(-)269.11
9	2501—ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	519.20	259.66	(-)259.54
10	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,201.18	2,024.64	(-)176.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- मुख्य शीर्ष 2202—सामान्य शिक्षा के तहत ₹2,037.23 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से केंद्र और राज्य की योजनाओं से संबंधित जैसे समग्र शिक्षा (₹447.65) करोड़, न्यूनतम सेवाओं के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय (₹234.86 करोड़), न्यूनतम सेवाओं के लिए माध्यमिक विद्यालय (₹161.92 करोड़), गैर-सरकारी स्कूलों को न्यूनतम सेवाओं के लिए अनुदान (₹135.46 करोड़), आश्रम और स्कूलों (₹20.66 करोड़) और छात्रावासों (₹44.34 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- 2408—खाद्य भंडारण और भाण्डागार के तहत व्यय में ₹1,704.48 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना के तहत दी गई सब्सिडी ₹1,017 करोड़ की वृद्धि और राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न की खरीद में नुकसान की भरपाई योजना के तहत ₹700.01 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 2401—फसल कृषि कर्म के तहत व्यय में ₹1,623.46 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना में ₹1,476.01 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ₹95.38 करोड़ और कृषि इंजीनियरिंग मिशन के तहत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी में ₹33.51 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 2801—विद्युत के तहत ₹1,462.19 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए ₹753.42 करोड़ रूपये, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में ₹215.48 करोड़ की राहत और एकल बत्ती कनेक्शन ₹134.63 करोड़ के तहत दी गई सब्सिडी में वृद्धि के कारण हुई।
- 2216—आवास के तहत व्यय में ₹1,016.15 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण में ₹1,007.10 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

- 2217—शहरी विकास के तहत व्यय में ₹990.52 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से नई योजनाओं जैसे रायपुर स्मार्ट सिटी पर ₹196 करोड़, बिलासपुर स्मार्ट सिटी पर ₹194 करोड़, और नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी मिशन ₹205 करोड़ पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- 2210—चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के तहत व्यय में ₹331.97 करोड़ की कमी मुख्य रूप से राष्ट्रीय आयुष मिशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (बुनियादी सेवाएं), कोविड-19 मामलों में कमी, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि के तहत व्यय में कमी के कारण हुई।
- 2505—ग्रामीण रोजगार के तहत व्यय में ₹269.11 करोड़ की कमी मुख्य रूप से जिला पंचायत को सहायता पर व्यय में ₹127.87 करोड़ की कमी के कारण हुई।
- 2501—ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम के तहत व्यय में ₹259.55 करोड़ की कमी मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर व्यय में ₹146.06 करोड़ की कमी के कारण हुई।
- 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के तहत व्यय में ₹176.54 करोड़ की कमी मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत ₹91.45 करोड़ और अन्य योजनाओं (राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, “छत्तीसगढ़ निश्क्रियन वित्त एवं विकास निगम”, एकीकृत सेवा योजना’, राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन प्राधिकरण के अन्तर्गत राज्य महिला केन्द्र की स्थापना आदि) के तहत व्यय में कमी के कारण हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध एवं गैर-प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य शासन के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व खाते पर शासन के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान, और पेंशन पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय के अलावा अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उपरोक्त के अलावा, अनम्य व्यय की कुछ मर्दें हैं जिन्हें आम तौर पर बदला या परिवर्तित नहीं जा सकता है या पूँजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत, वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मर्दों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है :

- (i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण – वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूँजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/स्थानांतरण)।
- (ii) आरक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं – समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ), आदि में योगदान।
- (iii) आकस्मिकता निधि की वसूली – वर्ष के भीतर वसूल की गई राशि।
- (iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है।
- (v) प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का शेयर योगदान – राज्य के हिस्से की राशि एसएनए को हस्तांतरित की जाएगी।

प्रतिबद्ध व्यय में ऊपर की ओर की प्रवृत्ति शासन को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय और उसके घटकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16: प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	प्रतिबद्ध व्यय के घटक					
i	वेतन एवं मजदूरी	17,807.60	21,763.92	22,002.14	24,017.18	26,270.55
ii	पेशन पर व्यय	5,428.50	6,637.98	7,136.00	7,472.22	7,661.46
iii	ब्याज भुगतान	3,652.55	4,970.36	5,633.11	6,144.24	6,382.08
	योग	26,888.65	33,372.26	34,771.25	37,634.24	40,314.09
2	अनम्य व्यय के घटक					
i	स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	895.16	1,120.32	1,125.31	1,112.76	1,142.57
ii	आरक्षित निधि में योगदान	571.49	6,447.59	748.32	1,326.36	1,110.81
iii	आकर्षिकता निधि की वसूली	9.80	13.87	13.39	2.00	106.06
iv	आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का स्थानांतरण	243.23	405.56	308.80	345.70	370.80
v	प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का अंशदान	4,611.05	4,120.77	3,761.37	2,594.37	4,366.44
	योग	6,330.73	12,108.11	5,957.19	5,381.19	7,096.68
3	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय					
i	वेतन एवं मजदूरी	27.36	34.08	34.83	30.15	27.98
ii	पेशन पर व्यय	8.34	10.39	11.30	9.38	8.16
iii	ब्याज भुगतान	5.61	7.78	8.92	7.71	6.80
	योग	41.31	52.25	55.05	47.24	42.94
4	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय					
	योग	9.73	18.96	9.43	6.76	7.56
5	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय					
i	वेतन एवं मजदूरी	27.65	29.62	31.42	32.02	30.80
ii	पेशन पर व्यय	8.43	9.03	10.19	9.96	8.99
iii	ब्याज भुगतान	5.67	6.76	8.04	8.19	7.48
	योग	41.75	45.41	49.65	50.17	47.27
6	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय					
	योग	9.83	16.48	8.51	7.17	8.32
7	गैर-प्रतिबद्ध व्यय	37,522.52	40,105.05	35,261.59	37,375.77	44,970.94
8	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	58.25	38.96	50.35	49.83	52.73
9	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	51.01	48.85	44.57	43.54	45.57

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय राज्य के व्यय को प्राथमिकता देने और सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश को पूरा करने में प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात इंगित करता है कि नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में राज्य के पास सीमित लचीलापन है।

तालिका 2.16 से पता चलता है कि, प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति है और वर्ष 2018–19 में ₹26,888.65 करोड़ (राजस्व व्यय का 41.75 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹40,314.09 करोड़ (राजस्व व्यय का 47.27 प्रतिशत) हो गया है। चालू वर्ष के दौरान, मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी के व्यय में वृद्धि के कारण प्रतिबद्ध व्यय में ₹2,679.85 करोड़ की वृद्धि हुई।

(अ) वेतन और मजदूरी

वर्ष 2022–23 के दौरान वेतन और मजदूरी पर व्यय पिछले वर्ष ($\text{₹}24,017.78$ करोड़) की तुलना में 9.38 प्रतिशत ($\text{₹}26,270.55$ करोड़) बढ़ गया और राजस्व व्यय का 30.80 प्रतिशत बन गया।

(ब) ब्याज भुगतान

वर्ष 2018–23 के दौरान सार्वजनिक ऋण में लगातार वृद्धि के कारण वर्ष 2022–23 ($\text{₹}6,382.08$ करोड़) में ब्याज भुगतान वर्ष 2018–19 ($\text{₹}3,652.55$ करोड़) की तुलना में 74.73 प्रतिशत बढ़ गया। बाजार ऋण पर ब्याज भुगतान और कुल ब्याज भुगतान का अनुपात 2018–19 में 61.56 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 72.96 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, ब्याज भुगतान पर व्यय वर्ष 2018–19 में 5.61 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 6.80 प्रतिशत हो गया।

(स) पेंशन पर व्यय

वर्ष 2022–23 में पेंशन पर व्यय ($\text{₹}7,661.46$ करोड़) पिछले वर्ष ($\text{₹}7,472.22$ करोड़) की तुलना में 2.53 प्रतिशत मुख्य रूप से पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी के साथ–साथ सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के कारण बढ़ गया। 2022–23 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.16 प्रतिशत और राज्य के राजस्व व्यय का 8.99 प्रतिशत था।


(द) अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटकों में स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण और आरक्षित निधि में योगदान शामिल है, जिसमें वर्ष 2018–19 की तुलना में 2019–20 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, फिर 2020–22 की अवधि के दौरान कमी आई और 2022–23 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अनम्य व्यय वर्ष 2018–19 में 9.83 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022–23 में 8.32 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, पिछले वर्ष ($\text{₹}5,381.19$ करोड़) की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान अनम्य व्यय ($\text{₹}7,096.68$ करोड़) में 31.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2018–23 के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत चार्ट 2.13 में दिया गया है:

चार्ट 2.13: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि ऊपर चार्ट 2.13 से देखा जा सकता है, कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा वर्ष 2018–19 में 41.75 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 47.27 प्रतिशत हो गया और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा वर्ष 2018–19 में 58.25 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2022–23 में 52.73 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्तियों के लिए प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात वर्ष 2018–19 में 41.31 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 42.94 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेशन प्रणाली के तहत अन-उन्मोचित दायित्व

वर्ष 2022–23 के दौरान, पेशन भुगतान पर व्यय ₹7,661.46 करोड़ था, जिसमें से 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेशन प्रणाली (एनपीएस) पर ₹144.83 करोड़ रुपये व्यय किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पत्र संख्या 282 दिनांक 11.05.2022 के माध्यम से 01.11.2004 से पुरानी पेशन योजना (ओपीएस) में वापसी के लिए अधिसूचना जारी की है।

राष्ट्रीय पेशन प्रणाली (एनपीएस)

शासकीय कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें राष्ट्रीय पेशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेशन योजना है। इस योजना के अनुसार कर्मचारी अपना मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है, राज्य शासन (01.04.2022 से) मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत योगदान करती है, तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/न्यासी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

1 अप्रैल 2022 को लोक लेखों – मुख्य शीर्ष 8342 अन्य जमा – (117) परिभाषित अंशदान पेशन योजना के तहत प्रारंभिक शेष राशि ₹37.79 करोड़ थी। इस मद के तहत 2022–23 के दौरान प्राप्तियां ₹129.00 करोड़ थीं और ₹146.24 करोड़ लोक लेखों से एनएसडीएल को हस्तांतरित किए गए थे। 31 मार्च 2023 तक, लोक लेखों में ₹20.55 करोड़ की शेष राशि एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित होने के लिए लंबित थी। एनएसडीएल को शेष निधि के लंबित हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर

₹0.65 करोड़ की ब्याज देनदारी हुई और उस सीमा तक कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा हुई। इसके अलावा, ₹0.65 करोड़⁵ की ब्याज देनदारी का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम बताया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, एनपीएस में कुल योगदान, जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, ₹273.83 करोड़ था (कर्मचारी का योगदान ₹124.59 करोड़, सरकार का योगदान ₹144.83 करोड़, कर्मचारी और नियोक्ता का प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों का योगदान ₹4.41 करोड़ और ब्याज एनपीएस के मासिक योगदान में कटौती में देरी के कारण डीडीओ द्वारा जमा किया गया ₹0.001 करोड़)। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342–117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत लोक लेखा में ₹129.00 करोड़ हस्तांतरित किए। ₹144.83 करोड़ का सरकारी योगदान सीधे मुख्य शीर्ष 2071 से एनएसडीएल को हस्तांतरित कर दिया गया।

चूंकि नई अंशदायी पेंशन योजना में योगदान 01.04.2022 से समाप्त कर दिया गया था, एनपीएस में कुल योगदान जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, 2021–22 में ₹2,579.36 करोड़ (कर्मचारी का योगदान ₹1,296.61 करोड़ + राज्य सरकार का योगदान ₹1,282.75 करोड़) से ₹2,305.53 करोड़ कम होकर 2022–23 में ₹273.83 करोड़ (कर्मचारी का योगदान ₹129.00 करोड़ + राज्य सरकार का योगदान ₹144.83 करोड़) हो गया।

2.4.2.4 सब्सिडी

वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹8,306.28 करोड़ का भुगतान किया। वर्ष 2018–23 के दौरान राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण तालिका 2.17 में दिखाया गया है।

तालिका 2.17: वर्ष 2018–23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8,323.01	11,483.23	7,307.94	6,565.30	8,306.28
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	12.79	17.98	11.57	8.24	8.85
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	12.92	15.63	10.44	8.75	9.74

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सब्सिडी पर व्यय 2021–22 में ₹6,565.30 करोड़ से ₹1,740.98 करोड़ (26.52 प्रतिशत) बढ़कर 2022–23 में ₹8,306.28 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹1,017 करोड़) और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में (₹215.48 करोड़) राहत के तहत सब्सिडी में वृद्धि है।

वर्ष 2022–23 के दौरान सब्सिडी का बड़ा हिस्सा वाले विभाग तालिका 2.18 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.18: वर्ष 2022–23 के दौरान सब्सिडी के बड़े हिस्से वाले विभाग

क्र. सं.	प्राप्तकर्ता विभाग का नाम	सब्सिडी (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
1	ऊर्जा	3,275.71	39.44	पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान (₹1,715.44 करोड़) और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत (₹1,115.48 करोड़) शामिल है।

⁵ ब्याज की गणना सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर 7.1% की दर से सामान्य भविष्य निधि को देय के अनुसार, 1 अप्रैल 2022 को ₹37.79 करोड़ की शेष राशि पर की गयी है।

2	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	4,372.68	52.64	खाद्य खरीद पर घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को अनुदान के कारण (₹750 करोड़) और मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹3,399.99 करोड़)
---	-------------------------	----------	-------	--

स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

2.4.2.5 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान एवं ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता की मात्रा तालिका 2.19 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.19: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	(अ) स्थानीय निकाय					
2	नगर निगम एवं नगरपालिका	2,778.73	3,138.94	3,554.17	3,904.13	4,296.67
3	पंचायती राज संस्थान	6,905.17	6,006.83	4,421.79	4,345.60	5,903.98
4	योग (अ)	9,683.90	9,145.77	7,975.96	8,249.73	10,200.65
5	(ब) अन्य					
6	शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	170.44	273.67	204.97	254.57	262.59
7	विकास प्राधिकरण	271.41	235.06	229.93	393.08	661.14
8	सहकारी एवं अन्य संस्थान एवं गैर सरकारी संगठन	13,255.70	10,499.70	12,555.37	13,241.09	15,994.08
9	योग (ब)	13,697.55	11,008.43	12,990.27	13,888.74	16,917.81
10	योग (अ+ब)	23,381.45	20,154.20	20,966.23	22,138.47	27,118.46
11	वेतन के लिए जीआईए	1,592.75	673.48	140.35	192.34	253.37
12	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जीआईए	1,987.03	1,960.40	1,821.78	1,940.38	2,632.10
13	अन्य के लिए जीआईए	19,801.67	17,520.32	19,004.10	20,005.75	24,232.99
14	राजस्व व्यय	64,411.17	73,477.31	70,032.84	75,010.01	85,285.03
15	राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में सहायता	36.30	27.43	29.94	29.51	31.80

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2018–19 में ₹23,381.45 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹27,118.46 करोड़ हो गई है। 2022–23 के दौरान, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,950.92 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण पंचायती राज संस्थानों (जिला पंचायत – ₹882.44 करोड़ और ग्राम पंचायत – ₹623.49 करोड़) को प्रदान की गई सहायता में ₹1,558.38 करोड़ की वृद्धि है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता 2018–19 में 36.30 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 31.80 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2022–23 के दौरान वेतन, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई है। आगे यह नोट किया गया कि वेतन घटक पर सहायता में 2018–21 तक लगातार घटती प्रवृत्ति देखी गई और फिर 2021–23 के दौरान मामूली वृद्धि हुई। इसके अलावा, वेतन, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता


का हिस्सा पिछले पाँच वर्षों में क्रमशः 2.53 प्रतिशत, 9.08 प्रतिशत और 88.40 प्रतिशत की औसत दर से दिया गया था।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय में मुख्य रूप से स्थायी अधोसंरचना जैसे भवन, सड़क, सेतु, आदि के निर्माण पर व्यय शामिल है। पाँच वर्ष की अवधि 2018–23 के दौरान बजट अनुमानों के विरुद्ध पूँजीगत व्यय का विवरण चार्ट 2.14 में दिया गया है।

चार्ट 2.14: राज्य में पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूँजीगत व्यय पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2018–19 में ₹8,903.45 करोड़ से ₹4,416.85 करोड़ (49.61 प्रतिशत) बढ़कर 2022–23 में ₹13,320.30 करोड़ हो गया। इसके अलावा, राज्य 2018–19 से 2022–23 तक परिसंपत्तियों के निर्माण पर बजट अनुमान को पूरा नहीं कर सका। 2018–22 के दौरान पूँजीगत व्यय के लिए बजट का उपयोग 62 प्रतिशत से 76 प्रतिशत के बीच था, हालांकि वर्ष 2022–23 में यह बढ़कर 87 प्रतिशत हो गया।

कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत हिस्सा 2021–22 में 12.24 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 13.50 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2022–23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 26.81 प्रतिशत (₹2,816.08 करोड़) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹1,096.76 करोड़) और ग्रामीण विकास (₹690.49 करोड़) के व्यय में वृद्धि थी।

वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल पूँजीगत व्यय (₹13,320.30 करोड़) का 32 प्रतिशत सड़कों और पुलों (₹4,299.30 करोड़) पर खर्च किया गया, इसके बाद जल आपूर्ति और स्वच्छता पर 19 प्रतिशत (₹2,521.23 करोड़) खर्च किया गया।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.20 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022–23 में पूँजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी के मामलों पर प्रकाश डालती है।

तालिका 2.20: वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2021–22	2022–23	वृद्धि (+)/ कमी(-)
1	4215—जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,424.47	2,521.23	1,096.76
2	4515—अन्य ग्रामीण विकास	271.28	961.77	690.49
3	4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	324.70	719.83	395.13
4	4059—लोक निर्माण	247.43	528.71	281.28
5	4225—एससी, एसटी और ओबीसी का कल्याण	381.40	491.78	110.38
6	4810—नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय	497.23	604.89	107.66
7	4801—विद्युत	327.95	130.80	(-)197.15
8	5054—सड़क एवं पुल	4,415.62	4,299.30	(-)116.32

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2021–22 एवं 2022–23

- 4215—जल आपूर्ति और स्वच्छता पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से जल जीवन मिशन में व्यय में ₹1,120.64 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के तहत ₹296.94 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत ₹191.26 करोड़ और विधान निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत ₹176.07 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के कार्यों की प्रगति, कैंसर संस्थान, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- 4059—लोक निर्माण पर व्यय में वृद्धि मुख्यतः नये कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।
- 4225—एससी, एसटी और ओबीसी के कल्याण पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से विशेष केंद्रीय सहायता आदि से स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत व्यय में वृद्धि, जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार और “अल्पसंख्यक बहु क्षेत्रीय विकास योजना” के तहत स्वीकृत कार्यों में वृद्धि के कारण हुई।
- 4810—नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सौर पंपों की स्थापना (₹124.42 करोड़), इंदिरा गांव गंगा योजना (₹9.00 करोड़) आदि के तहत व्यय में वृद्धि के कारण थी।
- 4801—विद्युत पर व्यय में कमी मुख्य रूप से बिजली कंपनियों की शेयर पूँजी में कम निवेश और कृषि पंपों के ऊर्जाकरण (₹21.14 करोड़), मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास (₹25 करोड़), मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना (₹64.20 करोड़), मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना (₹57.95 करोड़) जैसी योजनाओं के तहत कम व्यय के कारण हुई।
- 5054—सड़कों और पुलों पर व्यय में कमी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना (चरण II) से संबंधित कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने में देरी, छत्तीसगढ़ सड़क और औद्योगिक विकास निगम के निर्माण कार्यों के तहत कम व्यय, भूमि अधिग्रहण के मामले में देरी के कारण हुई।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह अनुभाग 31 मार्च 2023 तक शासन द्वारा किए गए निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गयी हो उसका वहन नहीं किया जा सकता।

कंपनियों, निगमों और सहकारी समितियों को दिए गए निवेश और ऋण, जो घाटे में चल रहे हैं और जिनकी निवल सम्पत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है वह पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई शेयर पूँजी का निवेश का प्रतिफल विभिन्न निकायों को दिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

निवेश और प्रतिफल

वित्त लेखा वर्ष 2022–23 के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने 10 सांविधिक निगमों, 28 सरकारी कंपनियों, 21 संयुक्त स्टॉक कंपनियों, दो ग्रामीण बैंकों और 1,460 सहकारी संस्थाओं में 31 मार्च 2023 तक ₹7,447.77 करोड़ का निवेश किया था। राज्य शासन ने वर्ष 2022–23 के दौरान इन निवेशों पर ₹6.20 करोड़ की लाभांश अर्जित की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 की अवधि में निवेश का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

तालिका 2.21: निवेशों का विवरण तथा निवेशों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	सांविधिक निगम (ईकाइयों की संख्या)	86.92 (10)	87.88 (10)	88.34 (10)	89.69 (10)	89.89 (10)
2	सरकारी कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	6,683.34 (28)	6,683.34 (28)	6,683.34 (28)	6,733.34 (28)	6,733.34 (28)
3	संयुक्त स्टॉक कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	145.21 (22)	145.21 (22)	145.21 (22)	156.93 (22)	278.72 (21 ⁶)
4	ग्रामीण बैंक (ईकाइयों की संख्या)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)
5	सहकारी संस्थाएं (ईकाइयों की संख्या)	327.42 (1,523)	324.21 (1,460)	319.26 (1,460)	315.08 (1,460)	320.67 (1,460)
6	कुल निवेश	7,268.05	7,265.79	7,261.30	7,320.19	7,447.77
7	वर्ष के अन्त में निवेश	7,268.05	7,265.79	7,261.30	7,320.19	7,447.77
8	निवेश पर प्रतिफल	1.49	2.39	2.29	3.64	6.20
9	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.02	0.03	0.03	0.05	0.08
10	शासकीय उधार पर औसत व्याज दर ⁷ (प्रतिशत में)	6.11	6.83	6.70	6.80	6.91
11	निवेश पर प्रतिफल एवं व्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत में)	(–)6.09	(–)6.80	(–)6.66	(–)6.75	(–)6.83

⁶ छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 2016–17 (₹55.00 करोड़) और 2017–18 (₹87.20 करोड़) के दौरान दी गई राशि ₹142.20 करोड़ को तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों की शेयर पूँजी में निवेश किया गया है। अतः संयुक्त उद्यम कंपनियों की कुल संख्या 21 दर्शायी गई है।

⁷ व्याज की औसत दर की गणना कुल शासकीय उधारी से बैंक–टू–बैंक ऋण को छोड़कर की गई है।

12	सरकारी उधार की लागत/औसत ब्याज दर और उसके निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर	442.62	494.07	483.60	494.11	508.68
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संख्याओं की संख्या दर्शाते हैं						

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022–23 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹6.20 करोड़ (0.08 प्रतिशत) था। जबकि राज्य शासन ने इसी अवधि के दौरान अपने उधार पर 6.91 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। निवेश के लिए उधार ली गई धनराशि का निरंतर उपयोग जिसमें पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल नहीं है, एक अस्थिर वित्तीय स्थिति का कारण बनेगा।

राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य शासन ने कई संस्थानों/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान किए हैं। तालिका 2.22 31 मार्च 2023 के स्थिति में विगत पाँच वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान बकाया ऋणों और अग्रिमों के साथ–साथ ब्याज प्राप्तियों के विरुद्ध ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.22: वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान ऋणों का वितरण एवं वसूली की मात्रा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वितरित एवं वसूली ऋणों की प्रमात्रा	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	1,519.63	1,597.75	1,397.08	1,173.86 ⁸	1,409.86
2	वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	240.44	56.11	50.50	324.06	85.96
3	वर्ष के दौरान पुनर्मुगतान राशि	162.32	256.78	104.80	88.06	117.51
4	बकाया ऋणों का अंतिम शेष	1,597.75	1,397.08	1,342.78	1,409.86	1,378.31
5	निवल वृद्धि	78.12	(-)200.67	(-)54.30	236.00	(-)31.55
6	ब्याज प्राप्तियाँ	28.32	1.67	6.88	3.27	37.04
7	शासन द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर वापसी की दर (प्रतिशत में)	2.04	0.11	0.50	0.24	2.66
8	शासन के बकाया उधार पर भुगतान किये गये ब्याज का दर (प्रतिशत में)	6.11	6.83	6.70	6.80	6.91
9	ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान के दरों में अंतर (प्रतिशत में)	(-)4.07	(-)6.72	(-)6.19	(-)6.56	(-)4.25

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के दौरान ₹324.06 करोड़ के मुकाबले 2022–23 के दौरान ₹85.96 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दी गई थी। दिये गये ऋण के विरुद्ध राज्य शासन को प्राप्त ब्याज ₹37.04 करोड़ था। मार्च 2023 के अंत में, सरकार पर ₹1,378.31 करोड़ का बकाया ऋण और अग्रिम था, जिसमें से ₹343.44 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित था, ₹163.01 करोड़ सरकारी कंपनियों से संबंधित था और ₹414.66 करोड़ सहकारी समितियों/निकायों से संबंधित था।

राज्य शासन द्वारा दिया गया कुल बकाया ऋण वर्ष 2021–22 में ₹1,409.86 करोड़ से घटकर वर्ष 2022–23 में ₹1,378.31 करोड़ हो गया। 2021–22 की तुलना में 2022–23 में ऋणों की वसूली में ₹29.45 करोड़

⁸ पावर कंपनी के वित्त खाते और खाते के आंकड़ों के बीच ऋण शेष के मिलान के कारण राज्य सरकार के पत्र संख्या 523/आर–110/2020/13/2 दिनांक 23–02–2022 द्वारा ₹168.92 करोड़ कम किया गया। ₹168.92 करोड़ में वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार की शेयर पूँजी के रूप में समायोजित ऋण का ₹136.78 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 2004–05 एवं 2005–06 के दौरान ब्याज के अतिरिक्त भुगतान का ₹32.14 करोड़ ऋण की अदायगी के रूप में समायोजित शामिल है।

(33.44 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और ब्याज प्राप्तियों में ₹33.77 करोड़ (1,033 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2022–23 के दौरान प्राप्त ब्याज बकाया ऋण और अग्रिम का केवल 2.66 प्रतिशत था।

इसके अलावा, राज्य शासन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित चीनी मिलों को नया ऋण और अग्रिम का भुगतान किया, जिनके विरुद्ध पूर्व से ही ऋणों की अदायगी बकाया है।

तालिका 2.23: वर्ष 2022–23 के दौरान चीनी मिलों को दिए गए ऋण और अग्रिम का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नाम	पिछले बकाया ऋणों का वर्ष	1 अप्रैल 2022 तक बकाया मूलधन की राशि	इस वर्ष के दौरान ऋण की राशि	इस वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	31 मार्च 2023 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2023 तक बकाया ब्याज
1	लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चीनी मिल लिमिटेड	2016–17	106.00	13.00	4.00	115.00	38.06
2	भोरमदेव सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2012–13	88.00	13.00	25.00	76.00	30.52
3	महामाया सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2008–09	110.67	17.00	32.00	95.67	73.14
4	दतेश्वरी मैया सहकारी चीनी मिल, लिमिटेड	2005–06	81.58	7.00	0.85	87.73	57.08

स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

2.4.3.3 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी के प्रवृत्ति का आंकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों को अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार जो धन लिया, वह ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ की ओर ले जाती है।

निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत ₹10 करोड़ और उससे अधिक लागत के 372 कार्यों में से 148 कार्य 31 मार्च 2023 को या उससे पहले पूरे किए जाने थे। अपूर्ण कार्यों का विभागवार विवरण तालिका 2.24 में दिखाया गया है।

तालिका 2.24: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	48 अपूर्ण परियोजनाएं जिनकी लागत पुनरीक्षित की गई		31 मार्च 2023 को 148 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय		
				48 परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत				
				क्र.	राशि			
1	लोक निर्माण	9	402.02	2	151.61	551.20	399.59	517.40
2	जल संसाधन	139	4,208.13	46	1,753.33	4,188.42	2,435.09	5,017.28
योग		148	4,610.15	48	1,904.94	4,739.62	2,834.68	5,534.68

स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

₹4,610.15 करोड़ की अनुमानित लागत वाले 148 अधूरे कार्यों (₹10 करोड़ से अधिक लागत) में से, राज्य शासन ने ₹2,834.68 करोड़ की लागत वृद्धि वाली 48 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत में संशोधन किया है। चूंकि राज्य शासन ने शेष अधूरे कार्यों की लागत का मूल्यांकन नहीं किया था, इसलिए इन परियोजनाओं की वास्तविक लागत का आकलन नहीं किया जा सका।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपना व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी में कुल व्यय का सकल व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.25 में वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं के व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है।

तालिका 2.25: राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूँजीगत व्यय की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

क्र. सं.		टीई / स.रा.घ.उ.	एसएसई / टीई	ईएसई / टीई	डीई / टीई	सीई / टीई	शिक्षा / टीई	स्वास्थ्य / टीई
1	औसत (अनुपात) 2018–19							
2	सामान्य श्रेणी राज्य [#]	16.38	36.60	30.65	67.24	14.04	14.76	5.07
3	छत्तीसगढ़	22.49	34.42	43.24	77.66	12.10	17.49	5.11
4	औसत (अनुपात) 2022–23							
5	सामान्य श्रेणी राज्य [#]	15.79	38.11	29.17	67.28	13.48	14.85	5.68
6	छत्तीसगढ़	21.57	37.33	37.62	74.95	13.50	18.29	6.70

टीई: कुल व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, डीई–विकास व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय, विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य

स्रोत : आर्थिक सलाहाकार से प्राप्त आंकड़े


- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राज्य शासन का कुल व्यय 2018–19 में 22.49 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 21.57 प्रतिशत हो गया।
- छत्तीसगढ़ के कुल व्यय में विकास, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक रहा है। हालाँकि, यह 2018–19 में 77.66 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 74.95 प्रतिशत हो गया है।
- राज्य शासन द्वारा सामाजिक क्षेत्र के व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता 2018–19 में 34.42 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 37.33 प्रतिशत हो गई। हालाँकि, यह इसी अवधि के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।
- पूँजीगत व्यय परिसंपत्ति निर्माण की सुविधा प्रदान करता है जो उच्च विकास के अवसर पैदा करता है। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात 2018–19 में 12.10 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 13.50 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 14.04 प्रतिशत से घटकर 13.48 प्रतिशत हो गया।

2.4.5 उद्देश्य शीर्ष–वार व्यय

वित्त लेखा केवल लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन दर्शाते हैं। उद्देश्य शीर्ष वार व्यय, व्यय के उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है। वर्ष 2022–23 के लिए कुल व्यय के संबंध में प्रतिशत वार उद्देश्य शीर्ष व्यय नीचे दिए गए चार्ट 2.15 में दिखाया गया है:

चार्ट 2.15: उद्देश्य शीर्ष वार व्यय

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, उद्देश्य शीर्ष वेतन और भत्ते, सहायता अनुदान और पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के तहत व्यय राज्य के कुल व्यय ₹98,605.33 करोड़⁹ का 61 प्रतिशत था। इसके अलावा, वित्तीय सहायता, ब्याज / ऋण भुगतान और प्रमुख निर्माण कार्य व्यय का क्रमशः आठ प्रतिशत, सात प्रतिशत और पांच प्रतिशत थे।

उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए बजटीय आवंटन और व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से ऊपर) की एक हिल डाउन व्य नीचे तालिका 2.26 में दी गई है।

तालिका 2.26: बजट आंबटन के विरुद्ध उद्देश्य शीर्ष वार व्यय (जहाँ व्यय ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है)
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल बजट अनुमान	व्यय	प्रतिशत उपयोग
1	14—सहायता अनुदान	26,781.67	26,947.30	100.62
2	01—वेतन एवं भत्ते	26,769.33	24,678.61	92.19
3	13—वित्तीय सहायता	7,761.87	8,306.28	107.01
4	12—पेशन एवं सेवा निवृत्ति से लाभ	7,573.10	7,643.77	100.93
5	35—ब्याज / ऋण का पुनर्मुग्गतान	7,222.05	6,808.44	94.27
6	26—वृहद निर्माण कार्य	4,814.75	4,863.53	101.01
7	97—निर्माण कार्य	6,188.85	4,481.17	72.41
8	25—सामग्री और पूर्तियाँ	3,446.57	3,501.54	101.59
9	45—पूँजीगत परि—संपत्तियों का निर्माण	3,109.41	2,840.61	91.36

⁹ कुल व्यय (₹98,691.19 करोड़) – अन्तर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण और अग्रिम (₹86.06 करोड़)

10	37—अंतः लेखा अन्तरण	2,244.58	1,635.19	72.85
11	02—मजदूरी	1,072.38	1,185.59	110.56
12	27—लघु निर्माण कार्य	1,386.09	1,076.39	77.66
13	30—अंशदान	364.53	1,058.08	290.26
	योग	98,735.18	95,026.50	96.24

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2022–23

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 13 उद्देश्य शीर्षों के तहत ₹98,735.18 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन में से, वर्ष 2022–23 के दौरान वास्तविक व्यय केवल ₹95,026.50 करोड़ (96.24 प्रतिशत) था।

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कुछ लेन—देन के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनते हैं उन्हें, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। शासन इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए शासन के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

लोक लेखे के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण की स्थिति वित्त लेखों के विवरण 21 में प्रदर्शित की जाती है। संबंधित वर्षों के 31 मार्च तक राज्य के लोक लेखा में घटक—वार शुद्ध शेष नीचे तालिका 2.27 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.27: वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखा में घटक—वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	उप—क्षेत्र	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	ज्ञ—अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि एवं अन्य लेखे	(-)6,832.41	(-)7,617.67	(-)8,021.40	(-)8,020.50	(-)9,326.98
2	त्र—आरक्षित निधियाँ	(क) व्याज सहित आरक्षित निधियाँ	(-)400.70	(-)1,101.77	(-)614.84	(-)769.36	(-)265.27
		(ख) व्याज रहित आरक्षित निधियाँ	(-)1,254.83	(-)1,363.00	(-)1,384.75	(-)1,683.77	(-)2,006.47
3	ट—जमा तथा अग्रिम	(क) व्याज सहित जमा	(-)42.90	(-)37.29	(-)33.16	(-)28.27	(-)8.30
		(ख) व्याज रहित जमा	(-)5,964.44	(-)5,446.01	(-)5,951.96	(-)5,758.23	(-)6,138.62
		(ग) अग्रिमों	(+)1.75	(+)1.84	(+)1.84	(+)7.35	(+)7.00
4	ठ—उचंत तथा विविध	(क) उचंत	(-)35.96	(-)29.66	(-)20.08	(-)84.64	(-)180.88
		(ख) अन्य लेखे	(+)9,711.03	(+)5,199.46	(+)3,344.86	(+)3,299.78	(+)440.13
		(ग) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ड—प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	(+)297.90	(+)204.48	(+)240.97	(+)245.09	(+)197.03
		(ख) अंतः—सरकार समायोजन लेखे	(-)61.19	(+)73.82	(+)88.41	(+)91.13	(+)101.63
	योग	(-)4,581.75	(-)10,115.80	(-)12,350.11	(-)12,701.42	(-)17,180.73	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


नोट: (-)क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है; (+) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है

पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 में लोक लेखे में शुद्ध शेष ₹4,479.31 करोड़ बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण उचंत और विविध – अन्य खातों के डेबिट शेष में ₹2,859.65 करोड़ की कमी और राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि और अन्य लेखे में ₹1,306.48 करोड़ में वृद्धि है, जो ब्याज सहित आरक्षित निधियों की राशि में ₹504.09 करोड़ की कमी से संतुलित हुई।

पिछले पांच साल की अवधि 2018–23 में लोक लेखे में शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.16 में दिए गए हैं:

चार्ट 2.16: लोक लेखा राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

ऊपर दिए गए चार्ट में दर्शाए गए वार्षिक परिवर्तनों में प्रमुख शीर्ष-8671 विभागीय शेष, 8673— नकद शेष निवेश खाता और आरक्षित निधि निवेश खाते में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹1,306.48 करोड़) और जमा तथा अग्रिम (₹360.77 करोड़) में प्रमुख वार्षिक परिवर्तन देखा गया।

2019–20 के दौरान, आरक्षित निधि में उच्च परिवर्तन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा से हस्तांतरित प्रतिपूरक वनीकरण निधि (कैम्पा) के तहत ₹5,791.70 करोड़ की प्राप्ति और कैम्पा निधियों के निवेश पर ₹81.25 करोड़ के ब्याज के कारण था।

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधि राज्य शासन के लोक लेखा के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। इन निधियों की पूर्ति राज्य के समेकित निधि से योगदान या अनुदान से की जाती है।

18 आरक्षित निधियाँ हैं (राज्य के गठन के बाद से 2000–2001 से राज्य में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए 17 आरक्षित निधियाँ निर्धारित की गई हैं और एक आरक्षित निधि यानी गारंटी मोचन निधि 2022–23 के दौरान बनाई गई थी)। 31 मार्च 2023 की स्थिति में 18 में से, 15 निधियाँ संचालित थे, और तीन निधियाँ

असंचालित थे। 31 मार्च 2023 के अंत में इन निधियों में सकल शेष ₹9,606.04 करोड़ था, जिसमें से ₹7,334.30 करोड़ (76.35 प्रतिशत) भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों (₹7,058.58 करोड़) और संयुक्त उद्यम कंपनियों की शेयर पूँजी (₹275.71 करोड़) में निवेश किया गया था।

2.5.2.1 संचित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, राज्य ने बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के कारण देनदारियों आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए एक संचित निक्षेप निधि (सीएसएफ) का गठन किया। इसके अलावा, राज्य शासन (वित्त विभाग) द्वारा जारी दिशानिर्देश (जून 2006) के अनुसार, वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण और लोक लेखा देनदारियों) का 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

वर्ष 2022–23 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2022 तक ₹87,446.74 करोड़ की बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण और लोक लेखा देनदारियों) का 0.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए ₹437.23 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले ₹400.00 करोड़ को संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरित किया। संचित निक्षेप निधि में ₹37.23 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य को अधिक बताया गया और उस सीमा तक राजकोषीय घाटे को कम बताया गया। 31 मार्च 2023 तक, निधि में ₹3,286.94 करोड़ की राशि पड़ी थी, और पूरी राशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी।

2.5.2.2 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग ने आपदा प्रतिक्रिया के साथ–साथ आपदा न्यूनीकरण के लिए एक निधि के निर्माण की सिफारिश की है, जिसे संयुक्त रूप से राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) कहा जाएगा। एसडीआरएमएफ के लिए अनुशांसित कुल राशि में से एसडीआरएफ का हिस्सा 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ का हिस्सा 20 प्रतिशत होगा।

एसडीआरएमएफ पर लगाए गए व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.28 में दिया गया है:

तालिका 2.28: राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि पर प्रभारित किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	लेखों के लघु शीर्ष	वर्ष 2022–23 के दौरान व्यय
1	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
2	01—सूखा		
3	101	अनुग्रहिक राहत	0.18
4	282	लोक स्वास्थ्य	0.00
5	02—बाढ़ चक्रवात आदि		
6	101	अनुग्रहिक राहत	4.06
7	110	क्षतिग्रस्त जल प्रदाय एवं निकास व्यवस्था के मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु सहायता	0.04
8	111	शोकाकुल परिवार को अनुग्रह भुगतान	13.47
9	112	जनसंख्या का निष्क्रमण	6.45
10	113	मकानों के मरम्मत एवं निर्माण हेतु सहायता	13.81
11	114	कृषि सामग्री क्रय हेतु किसानों को सहायता	5.94
12	116	कृषकों को क्षतिग्रस्त ट्यूब वैल एवं पम्पसेंट की मरम्मत हेतु सहायता	0.00
13	117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता	6.88

14	122	क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार	36.31
15	80—सामान्य		
16	101	विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र	0.04
17	102	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	97.41
18	800	अन्य व्यय	162.27
19		कुल राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के अंतर्गत व्यय	347.40
20		05—राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि	
21	901	घटाएं—राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि से प्रतिपूर्ति राशि	(-)282.08

स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

(अ) राज्य आपदा राहत निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) से बदल दिया। एसडीआरएफ दिशानिर्देश, 2022 के अनुसार, केंद्र और राज्यों को क्रमशः 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। योगदान को मुख्य शीर्ष 2245 के तहत बजट प्रावधान करके लोक लेखा में मुख्य शीर्ष-8121 में स्थानांतरित किया जाना है। एसडीआरएफ को दिए जाने वाले राहत कार्यों पर किए गए व्यय को मुख्य शीर्ष-2245 के तहत कटौती प्रविष्टि के रूप में दिखाया जाएगा।

वित्त लेखा 2022–23 के अनुसार, 01 अप्रैल 2022 तक एसडीआरएफ का प्रारंभिक शेष ₹205.52 करोड़ था। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य शासन को केंद्र सरकार के हिस्से की पहली किस्त के रूप में 31 मार्च 2023 को ₹181.60 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य शासन का हिस्सा ₹60.53 करोड़ था। हालाँकि, राज्य शासन ने वर्ष 2021–22 के लिए ₹230.40 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹172.80 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹57.60 करोड़) की राशि 2022–23 में निधि में स्थानांतरित कर दी। 31 मार्च 2023 तक, एसडीआरएफ में अंतिम शेष ₹208.34 करोड़ था।

राज्य शासन ने वर्ष 2022–23 के दौरान भारत सरकार और राज्य शासन के योगदान के हस्तांतरण में देरी के लिए ₹11.13 करोड़ का व्याज और ₹7.07 करोड़ के ट्रेजरी जमा भी हस्तांतरित किया। 2022–23 के दौरान एसडीआरएफ से ₹245.77 करोड़ का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा ने एसडीआरएफ से किए गए व्यय के संबंध में 11 जिलों में रिकॉर्ड की जांच की और निम्नलिखित पाया:

(अ) पांच जिलों¹⁰ में यह देखा गया कि तहसील कार्यालय ने न तो राज्य शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप (आरबीसी 6–4 के फॉर्म 2/3) में लाभार्थी रिकॉर्ड बनाए रखा और न ही राष्ट्र आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) पर डेटा अपलोड किया।

(ब) पांच जिलों¹¹ की 14 तहसीलों में, डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशों (अप्रैल 2017) का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान 1,035 चेक जारी करके 1,526 लाभार्थियों को ₹20.84 करोड़ की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया।

(स) छह जिलों¹² की 10 तहसीलों में, 156 पीड़ितों/लाभार्थियों को एक महीने की निर्धारित अवधि से, 28 दिन से लेकर 563 दिन तक की देरी से मुआवजा प्रदान किया गया।

¹⁰ जशपुर, रायगढ़, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव

¹¹ दंतेवाडा (गीदम, फतेवाडा), जशपुर (दुलदुला, मनोरा, फरसाबहार, जशपुर, कुनकुरी), कोरबा (पाली, करतला), नारायणपुर, रायगढ़ (तमनार, घरघोड़ा, रायगढ़, धर्मजयगढ़)

¹² रायगढ़ (खरसिया, घरघोड़ा, तमनार), जशपुर (बगीचा, फरसाबहार, कुनकुरी), सरगुजा (बतौली), राजनांदगांव (डोंगरगढ़), महासमुंद, दुर्ग

(द) तीन जिलों¹³ की चार तहसीलों में, एसडीआरएफ निधि से ₹161.02 लाख की राशि निकाली गई, लेकिन लाभार्थियों को वितरित नहीं की गई और डीडीओ के चालू बैंक खाते में रखी गई। रायगढ़ और दंतेवाड़ा में निधि क्रमशः 2020 और 2015 से तहसीलदार के बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी थी।

एसडीआरएफ योगदान में विलंब

एसडीआरएफ पर गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश (2015 और 2022) के अनुसार, भारत सरकार का हिस्सा प्राप्त होने के तुरंत बाद, राज्य शासन अपने मिलान वाले हिस्से के साथ राशि, यदि पहले से ही हस्तांतरित नहीं हुई है, को इसकी प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर लोक लेखा शीर्ष में स्थानांतरित कर देगी। किसी भी देरी के लिए राज्य शासन को देरी के दिनों की संख्या के लिए आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज के साथ राशि जारी करने की आवश्यकता होगी। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि और राज्य के मिलान हिस्से के साथ 2020–23 से एसडीआरएफ को हस्तांतरण का विवरण नीचे तालिका 2.29 में दिया गया है।

तालिका 2.29: एसडीआरएफ निधि में योगदान का विवरण

वर्ष	किस्त	केंद्रीय हिस्सा		राज्य का हिस्सा		एसडीआरएफ खाते में केंद्र और राज्य का हिस्सा स्थानांतरित करने में लगने वाले दिनों की संख्या	अनुग्रह दिन	स्थानांतरण में देरी (दिन)	देरी के लिए भुगतान किया जाने वाला ब्याज (करोड़ में)
		राशि (करोड़ में)	भारत सरकार से रिलीज की तारीख	राशि (करोड़ में)	राज्य वित्त विभाग से केंद्र और राज्य के हिस्से की रिलीज की तारीख				
2020–21	पहली किस्त	172.80	03.04.2020	57.60	18.05.2020	45	15	30	0.88
	दूसरी किस्त	172.80	25.02.2021	57.60	29.03.2022	397	15	382	10.25
2021–22	पहली किस्त	172.80	29.04.2021	57.60	29.03.2022	334	15	319	8.56
	दूसरी किस्त	172.80	12.10.2021	57.60	07.09.2022	330	15	315	9.17
2022–23	पहली किस्त	181.60	31.03.2023	60.40	25.04.2023	25	15	10	0.45
	दूसरी किस्त*				-				

स्रोत: छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त डेटा

* वर्ष 2022–23 की दूसरी किस्त भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2020–23 से राज्य शासन द्वारा केंद्रीय हिस्से के साथ–साथ उनके मिलान हिस्से के हस्तांतरण में 10 दिनों से लेकर 382 दिनों तक की देरी हुई थी। राज्य शासन ने वर्ष 2020–21 से संबंधित निधि हस्तांतरण में देरी के लिए वर्ष 2022–23 में ₹11.13 करोड़ का ब्याज भुगतान किया है। हालाँकि, वर्ष 2021–22 और 2022–23 से संबंधित निधि के विलंब हस्तांतरण के लिए राज्य शासन द्वारा ₹18.18 करोड़ का ब्याज भी देय था।

(ब) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय स्तर और समुदाय–आधारित हस्तक्षेपों के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) बनाने की सिफारिश की, जो जोखिमों को कम करता है और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देता है। भारत सरकार और राज्य सरकार को क्रमशः 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है।

¹³ रायगढ़ (घरघोड़ा ₹25.61 लाख), जशपुर (फरसाबहार ₹38.93 लाख, दुलदुला ₹14.87 लाख), दंतेवाड़ा (दंतेवाड़ा ₹81.61 लाख)

भारत सरकार से प्राप्त धनराशि और राज्य के मिलान हिस्से के साथ 2020–23 से एसडीएमएफ¹⁴ को हस्तांतरण का विवरण नीचे तालिका 2.30 में दिया गया है।

तालिका 2.30: एसडीएमएफ निधि में योगदान का विवरण

वर्ष	किस्त	केंद्रीय हिस्सा		राज्य का हिस्सा		एसडीएमएफ खाते में केंद्र और राज्य का हिस्सा स्थानांतरित करने में लगने वाले दिनों की संख्या	अनुग्रह दिन	स्थानांतरण में देरी (दिन)	देरी के लिए भुगतान किया जाने वाला ब्याज (करोड़ में)
		राशि (करोड़ में)	भारत सरकार से रिलीज की तारीख	राशि (करोड़ में)	राज्य वित्त विभाग से केंद्र और राज्य के हिस्से की रिलीज की तारीख				
2020–21	पहली किस्त	43.20	03.04.2020	14.40	29.03.2022	725	15	710	4.78
	दूसरी किस्त	43.20	25.02.2021	14.40	24.03.2021	27	15	12	0.08
2021–22	पहली किस्त	43.20	29.03.2022	14.40	19.05.2023	416	15	401	3.74
	दूसरी किस्त	43.20	29.03.2022	14.40	19.05.2023	416	15	401	3.74
2022–23*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

स्रोत: छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त डेटा

* भारत सरकार से वर्ष 2022–23 के लिए एसडीएमएफ से संबंधित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

1 अप्रैल 2022 तक एसडीएमएफ के पास ₹115.66 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष 2022–23 के दौरान, केंद्र सरकार से एसडीएमएफ के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निधि में राज्य के हिस्से के साथ–साथ केंद्रीय हिस्से के हस्तांतरण में 12 दिनों से लेकर 710 दिनों तक की देरी हुई। एसडीएमएफ दिशानिर्देशों (2022) के अनुसार, राज्य शासन को अपनी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर योगदान जारी करना आवश्यक था और देरी के मामले में राज्य सरकार द्वारा आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज देय होगा। राज्य शासन ने वर्ष 2020–21 से संबंधित निधि हस्तांतरण में देरी के लिए वर्ष 2022–23 में ₹4.86 करोड़ (मार्च 2023) का ब्याज भुगतान किया है। हालाँकि, वर्ष 2021–22 से संबंधित निधि के हस्तांतरण में देरी के लिए राज्य शासन द्वारा ₹7.48 करोड़ का ब्याज भी देय था। 2022–23 के दौरान एसडीएमएफ से ₹36.31 करोड़ का व्यय किया गया। 31 मार्च 2023 को एसडीएमएफ का अंतिम शेष ₹84.21 करोड़ था।

एसडीएमएफ से गैर–निवेश

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों (2022) के अनुसार, राज्य सरकार एसडीएमएफ निधि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों एक या अधिक उपकरणों जैसे नीलाम किए गए ट्रेजरी बिल; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ब्याज अर्जित करने वाली जमाराशियाँ और जमाराशियों के प्रमाण पत्र में निवेश करेगी। राज्य सरकार एसडीएमएफ से निवेश न की गई राशि के लिए आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एसडीएमएफ में ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्ध–वार्षिक आधार पर जमा किया जाएगा।

हालाँकि, वर्ष 2022–23 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने न तो दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किसी भी उपकरण में एसडीएमएफ में शेष राशि का निवेश किया था, और एसडीएमएफ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए

¹⁴ पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसार, एसडीएमएफ फंड 2020–21 में बनाया गया था। हालाँकि, 2020–21 की अवधि के लिए नए एसडीएमएफ दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिए जाने तक, भारत सरकार (एमओएच) (अप्रैल 2020) ने 30 जुलाई 2015 के एसडीआरएफ के मौजूदा दिशानिर्देश की वैधता को एक वर्ष की अवधि के लिए या नए दिशानिर्देश/मानदंड तैयार होने तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

फंड में पड़ी शेष राशि पर न ही अर्ध-वार्षिक ब्याज का भुगतान किया था। 31 मार्च 2023 तक ₹84.21 करोड़ की संपूर्ण शेष राशि एसडीएमएफ में बिना निवेश के पड़ी थी। अवैतनिक ब्याज (₹8.18 करोड़¹⁵) के कारण 2022–23 के दौरान उस सीमा तक राजस्व आधिक्य और भविष्य के लिए संचित देनदारियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।

2.5.2.3 प्रत्याभूति मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग ने सरकार द्वारा दी गई गारंटी से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक देनदारियों को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) की स्थापना की सिफारिश की। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा राज्य शासन की प्रत्याभूति पर लिए गए ऋणों, जारी किए गए बांड एवं अन्य उधारियों को भुगतान न करने के कारण हितग्राहियों द्वारा मांग करने पर उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से दिनांक 05 जुलाई 2022 की अधिसूचना के माध्यम से प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया है।

अधिसूचना के पैरा 5 के अनुसार, निधि की स्थापना ₹5.00 करोड़ के प्रारंभिक योगदान के साथ की जाएगी। इस निधि पर सालाना अथवा न्यूनतम अंतराल पर अंशदान द्वारा वृद्धि होती जाएगी ताकि इस निधि का राज्य शासन पर पर्याप्त प्रत्याभूतियों की मांग के कारण आने वाले संभवित व्यय भार के भुगतान को पूरा किए जाने में पर्याप्त हो सके।

तदनुसार, 2022–23 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने शीर्ष 8235–117 के तहत प्रत्याभूति मोचन निधि में ₹5.00 करोड़ हस्तांतरित किए।

2.5.2.4 राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) में अनुच्छेद 267 के अधीन प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल के माध्यम से उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम, और ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशि से एक समेकित निधि बनेगी जो “राज्य की समेकित निधि” की हकदार होगी। अनुच्छेद 266(2) में प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जैसा भी मामला हो, राज्य के लोक लेखों में जमा किया जाएगा।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का सितम्बर 2008 में गठन किया गया। मण्डल नियोक्ताओं से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर एकत्र करता है और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसका उपयोग करता है।

श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

वर्ष 2020–21 से 2022–23 की अवधि के लिए उपकर की प्राप्ति और व्यय की वर्षवार स्थिति तालिका 2.31 में दर्शाई गई है।

¹⁵ ओवरड्राफ्ट 7.49% पर लागू दर पर 1 अप्रैल 2022 (₹115.66 करोड़) पर शेष राशि पर ब्याज की गणना की गई।

तालिका 2.31: श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध राशि	व्यय (स्थापना व्यय सम्मिलित)	अंतिम शेष
			पंजियन शुल्क एवं अन्य प्राप्तियाँ	मण्डल के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	जमा पर ब्याज			
1	2020–21	380.80	0.73	172.34	31.39	585.26	108.10	477.16
2	2021–22	477.16	0.13	191.07	17.20	685.56	92.24	593.32
3	2022–23	593.32	0.24	223.36	23.62	840.54	204.06	636.48

स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित

वर्ष 2022–23 के दौरान ₹204.06 करोड़ के कुल व्यय में से, बोर्ड ने कल्याणकारी योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों पर ₹200.33 करोड़ (98.17 प्रतिशत) और स्थापना शुल्क पर ₹3.73 करोड़ (1.83 प्रतिशत) का व्यय किया। बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाओं (₹114.08 करोड़) और निजी संस्थाओं (₹109.28 करोड़) से श्रम उपकर के रूप में ₹223.36 करोड़ प्राप्त हुए। बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, धनराशि अन्य संस्थाओं द्वारा सीधे बोर्ड को हस्तांतरित की गई थी और लोक लेखों के माध्यम से नहीं भेजी गई थी। और केवल चार¹⁶ विभागों के संबंध में, धनराशि लोक लेखों के माध्यम से भेजी जा रही थी।

वित्त लेखे 2022–23 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8443–111 / 108 अन्य विभागीय/लोक निर्माण जमा के अंतर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान श्रम उपकर के 39.81 करोड़ रुपये जमा किये गये। जिसमें से राज्य शासन ने बोर्ड को ₹45.53 करोड़ (₹39.81 करोड़ + पिछले वर्ष का ₹5.72 करोड़ का गैर-हस्तांतरित शेष) के मुकाबले केवल ₹42.60 करोड़ हस्तांतरित किया। ₹2.93 करोड़ की शेष राशि हस्तांतरित नहीं की गई है और इसे लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत रखा गया है।

2.5.2.5 अन्य समर्पित निधियाँ

(अ) अधोसंरचना विकास निधि

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकार अधिनियम 2005 के अनुसार, बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए धन जुटाने के लिए भूमि पर उपकर लगाया जाएगा। अधिनियम के अनुसार, अधोसंरचना विकास उपकर उन सभी जमीनों पर लगाया और एकत्र किया जाएगा, जिन पर भू-राजस्व या किराया लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्र की गई अधोसंरचना विकास उपकर को अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है। अधोसंरचना विकास निधि लोक लेखे (8229–200–0026) में रखी जाती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि राज्य शासन ने वर्ष 2021–22 में ₹170.88 करोड़ का अधोसंरचना विकास उपकर एकत्र किया और वर्ष 2022–23 के दौरान इतनी ही राशि अधोसंरचना विकास निधि को हस्तांतरित नहीं की गई। ₹170.88 करोड़ की अहस्तांतरित शेष राशि राज्य शासन के अनुन्मोचित दायित्व में योगदान करती है। इसके अलावा, विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधोसंरचना विकास निधि में उपकर का अंतरण न किए जाने से निधि के सृजन का उद्देश्य भी विफल हो गया। 31 मार्च 2023

¹⁶ लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

को अधोसंरचना विकास निधि में अंतिम शेष ₹47.79 करोड़ था।

(ब) पर्यावरण निधि

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन में एक पर्यावरण निधि स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार एकत्रित पर्यावरण उपकर को राज्य में पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पर्यावरण निधि लोक लेखे (8229—200—0021) में रखी जाती है।

सम्बंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2021—22 में पर्यावरण उपकर के रूप में ₹170.88 करोड़ एकत्र किए गए थे और उस राशि को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2022—23 के दौरान पर्यावरण कोष में स्थानांतरित नहीं की गई थी। एकत्रित उपकर को पर्यावरण निधि में अंतरित न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष बढ़ा कर और राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया। इसके अलावा, पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण निधि में उपकर का अंतरण न किए जाने से भी निधि के सृजन का उद्देश्य विफल हो गया। 31 मार्च 2023 को पर्यावरण निधि में अंतिम शेष ₹223.73 करोड़ था।

(स) खनिज विकास निधि

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्रित खनिज राजस्व के पांच प्रतिशत के बराबर राशि निर्धारित की जाएगी और खनिज विकास निधि में योगदान किया जाएगा। खनिज विकास निधि लोक लेखा (8229—200—0089) में रखी जाती है।


वर्ष 2022—23 के दौरान, राज्य शासन को छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि में ₹615.27 करोड़ (2021—22 के दौरान एकत्रित खनिज राजस्व ₹12,305.39 करोड़ का पांच प्रतिशत) हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी, जिसके विरुद्ध राज्य शासन ने ₹430.35 करोड़ ही हस्तांतरित किए। ₹184.92 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य को अधिक बताया गया और उस सीमा तक राजकोषीय घाटे को कम बताया गया। 31 मार्च 2023 को खनिज विकास निधि में अंतिम शेष ₹883.19 करोड़ था।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, शासन द्वारा आवश्यक धन जुटाने के लिए लिया गया ऋण, उसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रणनीति स्थापित करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया है, जिसे शासन ने अधिनियम के माध्यम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं से निर्धारित किया है।

वर्ष 2018—19 से 2022—23 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के साथ राज्य की बकाया समग्र ऋण नीचे चार्ट 2.17 में दर्शायी गई है:

चार्ट 2.17: बकाया समग्र ऋण और जीएसडीपी में इसका प्रतिशत



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* बकाया समग्र ऋण में ₹8,074.15 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़) शामिल है, जो राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले बिना किसी पुनर्भुगतान दायित्व के प्रदान किया गया है।

वर्ष 2020–23 के लिए बकाया समग्र ऋण–जीएसडीपी अनुपात की गणना बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर की गई है।

2.6.1 ऋण घटक का रूपरेखा

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, लोक ऋण में राज्य शासन का आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं। आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

पाँच साल की अवधि 2018–23 के दौरान राज्य की घटक-वार देनदारी की प्रवृत्ति तालिका 2.32 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.32: ऋण की घटकवार प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	बकाया समग्र ऋण	66,749.51	78,712.46	92,665.90	99,172.89	1,01,696.43
2	लोक ऋण	52,254.22	63,146.72	76,659.79	82,912.77	83,950.79
अ	आंतरिक ऋण	49,553.83	60,382.67	70,490.49	71,186.62	68,754.84
ब	भारत सरकार से ऋण	2,700.39	2,764.05	6,169.30	11,726.15	15,195.95
3	लोक लेखे की देयतायें	14,495.29	15,565.74	16,006.11	16,260.12	17,745.64
4	समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	26.16	17.92	17.73	7.02	2.54
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,27,107	3,44,648	3,47,752	4,06,416	4,57,608
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60

7	ऋण / सकल राज्य घरेलू उत्पाद ¹⁷ (प्रतिशत)	20.41	22.84	25.75	22.42	20.46
उधार और अन्य देनदारियाँ (वित्त खातों के विवरण 6 के अनुसार)						
8	वर्ष के दौरान कुल प्राप्त ऋण	20,736.52	31,921.72	33,423.87	28,164.36	21,972.42
9	वर्ष के दौरान कुल ऋण का पुनर्भुगतान	6,923.87	19,958.77	19,470.43	21,657.37	19,448.88
10	वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध ऋण	13,812.65	11,962.95	13,953.44	6,506.99	2,523.54
11	पुनर्भुगतान / प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	33.39	62.52	58.25	76.90	88.51

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

ऊपर दिखाए गए बकाया समग्र ऋण की राशि में राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना राज्य शासन को जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले ऋण प्राप्ति के रूप में प्रदान किया गया ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़) का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है।

मार्च 2023 तक बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹93,622.28 करोड़ होगी। बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर 2018–19 में 26.16 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 2.54 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2022–23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण प्राप्तियों में ₹6,191.94 करोड़ (21.99 प्रतिशत) की कमी आई और कुल ऋण पुनर्भुगतान में भी ₹2,208.49 करोड़ (10.20 प्रतिशत) की कमी आई। वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर जीएसडीपी की वृद्धि दर से अधिक थी, जबकि जीएसडीपी की वृद्धि दर 2021–22 और 2022–23 के लिए बकाया समग्र देनदारी की वृद्धि दर से अधिक थी।

2018–23 की अवधि के दौरान लोक ऋण में ₹31,696.57 करोड़ (60.66 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें आंतरिक ऋण में ₹19,201.01 करोड़ (38.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और भारत सरकार से ऋण में ₹12,495.56 करोड़ (462.73 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2018–23 की अवधि के दौरान लोक लेखा देनदारियों में ₹3,250.35 करोड़ (22.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।


राज्य शासन के पास 31 मार्च 2023 तक ₹101,696.43 करोड़ की बजटीय देनदारियों के अलावा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के लिए ₹7,161.32 करोड़ की शुद्ध आफ बजट देनदारियाँ/उधार हैं। राज्य शासन ने बजट दस्तावेज के साथ एफआरबीएम प्रकटीकरण के तहत आवश्यक इन उधारों का खुलासा नहीं किया है।

समग्र देनदारियों का घटक-वार विवरण नीचे चार्ट 2.18 में दिखाया गया है:

¹⁷ वर्ष 2020–23 के लिए ऋण—जीएसडीपी अनुपात की गणना बैंक-टू-बैंक ऋण ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़), जो राज्य सरकार को जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले ऋण प्राप्ति के रूप में बिना किसी पुनर्भुगतान दायित्व के प्रदान किया गया है, की राशि को छोड़कर बकाया समग्र ऋण पर की गई है।

चार्ट 2.18: वर्ष 2022–23 के अंत में बकाया समग्र ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2022–23

नोट: बकाया समग्र ऋण में 2020–22 के दौरान जीएसटी मुआवजे के बदले भारत सरकार से प्राप्त ऋण ₹8,074.15 करोड़ का बैक-टू-बैक ऋण शामिल है, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देनदारी नहीं है।

आंतरिक ऋण (₹68,754.84 करोड़), जो कि मुख्यतः राज्य विकास ऋण (एसडीएल) को जारी कर बाजार ऋण होता है, वह कुल बकाया ऋण का 68 प्रतिशत था।

चार्ट 2.19 राज्य शासन द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को चित्रित करता है।

चार्ट 2.19: लिये गये आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2018–23 के दौरान, राज्य शासन के समग्र ऋण के तहत आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ 2018–19 में ₹13,816.66 करोड़ से ₹6,878.05 करोड़ (49.78 प्रतिशत) घटकर 2022–23 में ₹6,938.61 करोड़ हो गई। साथ ही, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में इसमें ₹2,383.16 करोड़ की कमी आई है। वर्ष 2022–23

के दौरान आंतरिक ऋण के तहत पुनर्भुगतान (₹9,370.39 करोड़) आंतरिक ऋण प्राप्तियों (₹6,938.61 करोड़) का 135 प्रतिशत था।

2.6.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना

राजकोषीय घाटा राजस्व और पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सम्मिलित कर) का राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों पर से अधिकता की पूर्ति के लिए राज्य को कुल वित्तीय पोषण की आवश्यकता (आधिकांशतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने रोकड़ एवं निवेश शेष से आहरण कर और ऋण लेकर) को प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण की संरचना तालिका 2.33 में प्रतिबिंबित है।

तालिका 2.33: राजकोषीय घाटे के घटक और उसके वित्तपोषण की संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व घाटा (–)/आधिकय(+) (–)	(+)683.76	(–)9,608.61	(–)6,856.66	(+)4,642.02	(+)8,592.11
2	शुद्ध पूँजीगत व्यय	(–)8,898.19	(–)8,561.69	(–)9,019.34	(–)10,499.33	(–)13,314.70
3	शुद्ध ऋण तथा आग्रिम ¹⁸	(–)77.80	200.75	53.62	(–)235.79	31.38
	योग	(–)8,292.23	(–)17,969.55	(–)15,822.38	(–)6,093.10	(–)4,691.21
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)						
1	बजार से लिए गए उधार	12,899.99	10,980.00	10,500.00	999.99	(–)2,200.00
2	मुआवजा और अन्य बांड	0.00	0.00	0.00	(–)87.01	(–)87.01
3	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	407.14	304.72	112.02	239.03	311.11
4	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	(–)443.74	(–)455.88	(–)455.88	(–)455.88	(–)455.88
5	भारत सरकार से ऋण	360.82	63.66	3,405.25	5,556.85	3,469.80
6	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	754.51	785.26	403.73	(–)0.90	1,306.48
7	आरक्षित निधियाँ	60.40	814.16	(–)465.18	453.53	(–)181.39
8	जमा तथा अग्रिम	(–)231.39	(–)524.14	501.82	(–)204.13	360.77
9	उचंत तथा विविध	(–)5,709.95	4,505.27	1,845.02	109.64	2,955.88
10	प्रेषण	(–)122.43	80.79	(–)51.08	(–)6.83	37.56
11	कुल घाटा	7,975.35	16,553.84	15,795.70	6,604.29	5,517.32
12	रोकड़ शेष में (–)वृद्धि / (+)कमी	(+)316.88	(+)1,415.71	(+)26.68	(–)511.19	(–)826.11
13	सकल राजकोषीय घाटा	8,292.23	17,969.55	15,822.38	6,093.10	4,691.21

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022–23 के दौरान, केंद्र सरकार से राज्य शासन द्वारा जुटाए गए ऋण और अग्रिम (₹3,469.70 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के एक बड़े हिस्से को वित्तपोषित करने में योगदान दिया और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 74 प्रतिशत थी।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण तालिका 2.34 में दिखाया गया है।

¹⁸ अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित निवल ऋण और अग्रिम

तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण वाले घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण

क्र. सं.	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	(₹ करोड़ में) निवल
1	बाजार से लिए गए उद्धार	2,000.00	4,200.00	(-)2,200.00
2	मुआवजा और अन्य बांड	0	87.01	(-)87.01
3	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,210.50	899.39	311.11
4	एन.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	0	455.88	(-)455.88
5	भारत सरकार से ऋण	3,700.13	230.33	3,469.80
6	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2,965.00	1,658.52	1,306.48
7	जमा तथा अग्रिम	3,200.16	2,839.40	360.77
8	उचंत तथा विविध	1,87,127.10	1,84,171.22	2,955.88
9	प्रेषण	8,834.59	8,797.03	37.56
10	आरक्षित निधियाँ	5,781.68	5,963.07	(-)181.39
11	आकस्मिकता निधि	0	0	0
12	कुल घाटा	2,14,819.16	2,09,301.85	5,517.32
13	रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	0	826.11	(-)826.11
14	सकल राजकोषीय घाटा	2,14,819.16	2,10,127.96	4,691.21

स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

2.6.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी

ऋण परिपक्वता और अदायगी रूपरेखा, ऋण अदायगी या ऋण सर्विसिंग के लिए शासन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। नीचे दी गई तालिका 2.35 राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा को दर्शाती है।

तालिका 2.35: राज्य ऋण के अदायगी के परिपक्वता की रूपरेखा

क्र. सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	योग	(₹ करोड़ में) प्रतिशत (लोक ऋण के सापेक्ष में)
1	0 से 1	7,204.78	418.64	7,623.42	9.08
2	1 से 3	20,088.52	469.09	20,557.61	24.49
3	3 से 5	22,534.84	473.15	23,007.99	27.41
4	5 से 7	16,021.39	445.85	16,467.24	19.61
5	7 और उससे अधिक	2,739.04	5,313.64	8,052.68	9.59
6	अन्य ¹⁹	166.27	8,075.58	8,241.85	9.82
योग		68,754.84	15,195.95	83,950.79	100.00

स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

31 मार्च 2023 को राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा इंगित करती है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 80.59 प्रतिशत भुगतान करना है।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों, डोमर दृष्टिकोण और संबंधित एफआरबीएम लक्ष्यों के लिए मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं:

¹⁹ परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है

(अ) ऋण स्थिरता को राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण का भुगतान करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकार के ऋण के परिमाण के अलावा, उन विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं और राज्य की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को इंगित करते हैं। यह खंड सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन बकाया ऋण की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान और ऋण प्राप्तियों का अनुपात; राज्य को शुद्ध ऋण उपलब्ध के संदर्भ में करता है।

तालिका 2.36 इन संकेतकों के अनुसार 2018–19 से 2022–23 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.36: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	बकाया लोक ऋण*	52,254.22	63,146.72	76,659.79	82,912.77	83,950.79
2	लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	33.88	20.85	21.40	8.16	1.25
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,27,107	3,44,648	3,47,752	4,06,416	4,57,608
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60
5	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.97	18.32	21.15	18.41	16.58
6	बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)**	6.79	7.42	7.19	7.35	7.08
7	दर प्रसार (4)–(6)	8.90	(–)2.06	(–)6.29	9.52	5.52
8	लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	3,098.02	4,282.24	4,915.43	5,453.80	5,336.45
9	लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के बिना राजस्व घाटा/अधिशेष	3,781.77	(–)5,326.37	(–)1,941.23	10,095.82	13,928.56
10	राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत	4.76	6.70	7.78	6.85	5.68
11	लोक ऋण पुनर्भुगतान का लोक ऋण प्राप्ति से प्रतिशत	7.97	44.39	37.39	58.58	90.24
12	राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण #	10,126.19	6,610.26	8,597.64	799.18	निरंक
13	ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध ऋण उपलब्ध	70.47	33.75	39.84	5.29	निरंक
14	प्राथमिक घाटा (–)/प्राथमिक अधिशेष (+)	(–)4,639.69	(–)12,999.19	(–)10,189.27	(+)51.14	(+)1,690.87
15	क्वांटम स्प्रेड® ((1)*(7) / 100)	4,650.63	(–)1,300.82	(–)4,626.34	7,124.64	4,188.39
16	ऋण स्थिरीकरण (14)+(15)	10.94	(–)14,300.01	(–)14,815.61	7,175.78	5,879.26

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003–आंतरिक ऋण और 6004– केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है। इसमें राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले प्रदान किया गया ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़) का बैंक–टू–बैंक ऋण शामिल है, जिसमें कोई पुनर्भुगतान देनदारी नहीं है।

& वर्ष 2020–23 के लिए लोक ऋण और जीएसटीपी अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण पर ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021 में ₹4,965.15 करोड़) के बैंक–टू–बैंक ऋण की राशि को छोड़कर की गई है।

** औसत ब्याज दर = बकाया गया ब्याज/((लोक ऋण का प्रारंभिक शेष + लोक ऋण का अंतिम शेष)/2), जहाँ 2020–23 के लिए बैंक–टू–बैंक ऋण को छोड़कर लोक ऋण लिया गया।

राज्य सरकार को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना लोक ऋण चुकौती और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

@ क्वांटम स्प्रेड = (लोक ऋण * दर प्रसार) जहाँ दर प्रसार = (जीएसडीपी विकास दर – औसत ब्याज दर) / क्वांटम प्रसार की गणना के लिए, 2020–23 के लिए बैंक–टू–बैंक ऋण को छोड़कर लोक ऋण लिया गया है।

ऋण स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लोक उधार की ब्याज दर या लागत से अधिक हो जाती है, तो ऋण जीएसडीपी अनुपात स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक हों या मामूली नकारात्मक हों।

लोक ऋण का दर प्रसार (जीएसडीपी विकास दर – औसत ब्याज दर) और क्वांटम स्प्रेड (लोक ऋण * दर प्रसार) को देखते हुए, ऋण स्थिरता की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ–साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अंततः स्थिर होगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण जीएसडीपी अनुपात अंततः गिर जाएगा।


- लोक ऋण का दर प्रसार, जो 2019–20 में नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गया, ने क्वांटम प्रसार को ऋण स्थिरीकरण के लिए प्रतिकूल बना दिया। प्राथमिक संतुलन में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। परिणामस्वरूप, लोक ऋण और जीएसडीपी का अनुपात 2018–19 में 15.97 प्रतिशत से 2 प्रतिशत अंक से अधिक बढ़कर 2019–20 में 18.32 प्रतिशत हो गया।
- महामारी से प्रभावित वर्ष 2020–21 में, हालांकि प्राथमिक संतुलन में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन दर प्रसार में काफी गिरावट आई। इस प्रकार, प्राथमिक संतुलन में किए गए सुधार की भरपाई दर प्रसार में वृद्धि से हुई, जिसके कारण लोक ऋण और जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई।
- पिछले दो वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के विपरीत, लोक ऋण जीएसडीपी अनुपात में लगातार दो वर्षों से गिरावट देखी गई है और यह 2021–22 में 18.41 प्रतिशत और 2022–23 में 16.58 प्रतिशत तक पहुंच गया है। दर प्रसार में सुधार और सकारात्मक प्राथमिक संतुलन के परिणामस्वरूप 2021–22 में लोक ऋण और जीएसडीपी अनुपात में गिरावट आई। दर प्रसार में देखी गई मंदी के विपरीत, जिसके कारण क्वांटम प्रसार में कमी आई, एक महत्वपूर्ण प्राथमिक अधिशेष ने 2022–23 में लोक ऋण और जीएसडीपी अनुपात के सुधार में योगदान दिया।
- ऋण स्थिरीकरण संकेतक, 2019–21 के दौरान गिरावट दिखाने के बाद 2021–22 में सकारात्मक हो गया और दर प्रसार में मंदी के बावजूद 2022–23 में सकारात्मक बना रहा।
- ब्याज भुगतान का उच्च प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कम धन छोड़ता है। राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत एक निश्चित अवधि के दौरान अपने ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार की सुरक्षा के मार्जिन को मापता है। वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक लोक ऋण पर ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्ति का अनुपात के प्रतिशत (4.76 प्रतिशत से 7.78 प्रतिशत) में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। हालांकि, 2021–22 और 2022–23 के दौरान लोक ऋण पर ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्ति का अनुपात घटकर क्रमशः 6.85 प्रतिशत और 5.68 प्रतिशत हो गया।
- उधार और ब्याज की अदायगी के बाद राज्य को उपलब्ध शुद्ध लोक ऋण पिछले वर्ष के पांच प्रतिशत की तुलना में 2022–23 में शून्य था, जो ऋण की अदायगी के बढ़ते बोझ की ओर संकेत करता है और राज्य को विकास गतिविधियों के लिए सीमित धन उपलब्धता के साथ छोड़ती है।

- इसके अलावा, ऋण परिपक्वता रूपरेखा (पैरा 2.6.3 में दिया गया है) के अनुसार, राज्य को लोक ऋण का 61 प्रतिशत पांच वर्षों के भीतर और लोक ऋण का 81 प्रतिशत अगले सात वर्षों के भीतर चुकाना होगा। यह भविष्य में राज्य के संसाधनों पर उच्च ऋण मोचन दबाव को इंगित करता है जो राज्य के ऋण स्थिरीकरण को प्रभावित कर सकता है, यदि प्राप्तियों की वृद्धि दर समान गति नहीं रखती है।
- 2018–23 की अवधि के दौरान ऋण भुगतान पर औसत व्यय (लोक ऋण भुगतान और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान) ₹11,888.30 करोड़ था, जो इसी अवधि के दौरान औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹16,255.27 करोड़) का 73 प्रतिशत था। इसका तात्पर्य यह है कि ऋण का एक बड़ा प्रतिशत उत्पादकता के बजाय ऋण चुकाने के लिए उपयोग किया जा रहा था।

नीचे चार्ट 2.20 ऋण/जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में राज्य शासन के ऋण की स्थिरता को दर्शाता है।

चार्ट 2.20: ऋण स्थिरता संकेतकों के प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: वर्ष 2020–23 के लिए लोक ऋण और जीएसडीपी अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण पर ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021 में ₹4,965.15 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण की राशि को छोड़कर की गई है।

(ब) ई.डी. डोमर²⁰ (डोमर, 1944) के एक अध्ययन के आधार पर ऋण स्थिरता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल बताता है कि सार्वजनिक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ब्याज दर, जीएसडीपी की वृद्धि दर और प्राथमिक बजट शेष के आधार पर सार्वजनिक ऋण की गतिशीलता इस प्रकार है:

²⁰ डोमर मॉडल ऋण स्टॉक की परिपक्वता प्रोफाइल, संरचना, लागत और जोखिम विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखता है।

जी—आर आर्थिक विकास दर; आर=वास्तविक ब्याज वृद्धि दर)	(जी=वास्तविक वास्तविक घटा)	एस < 0 (प्राथमिक घटा)	एस > 0 (प्राथमिक आधिक्य)
जी—आर > 0 (मजबूत आर्थिक विकास)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो सके	
जी—आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर परिवर्तित किए बिना, अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए	अपरिभाषित स्थिति	

छत्तीसगढ़ के मामले में उपरोक्त मापदंडों को लागू करने के परिणाम तालिका 2.37 में दिखाए गए हैं।

तालिका 2.37: डोमर मॉडल पर आधारित ऋण स्थिरता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक विकास (जी)	वास्तविक ब्याज (आर)	जी—आर (डोमर गैप)	प्राथमिक घटा (-) / अधिशेष (+) (करोड़ में)	टिप्पणियाँ
2018–19	11.10	4.39	6.71	(-)4,639.69	जी—आर > 0 और एस < 0; जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए
2019–20	2.76	4.94	(-)2.18	(-)12,999.19	जी—आर < 0 और एस < 0; जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर परिवर्तित किए बिना, अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए
2020–21	(-)1.80	(-)0.24*	(-)1.56	(-)10,189.27	
2021–22	8.46	2.52*	5.94	(+)51.14	जी—आर > 0 और एस > 0; जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो सके
2022–23	8.00	2.39	5.61	(+)1,690.87	

स्रोत: जीएसडीपी— छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय; मुद्रास्फीति— सीएसओ, एमओएसपीआई

नोट: जीएसडीपी के लिए वास्तविक विकास दर की गणना स्थिर कीमतों पर की गई है; वास्तविक ब्याज दर की गणना कुल सार्वजनिक ऋण पर औसत ब्याज दर में से मुद्रास्फीति घटाकर की गई है। *अप्रैल और मई 2020 के महीनों के लिए सीपीआई डेटा की अनुपलब्धता के कारण दस महीनों के लिए औसत सीपीआई सूचकांक लिया गया है।

- डोमर गैप (जी—आर), 2019–21 के दौरान गिरावट दिखाने के बाद 2021–22 में सकारात्मक हो गया और वास्तविक विकास में मंदी के बावजूद 2022–23 में सकारात्मक बना रहा। कोविड वर्षों (2019–20 और 2020–21) के दौरान डोमर गैप (जी—आर) नकारात्मक था। हालाँकि, कोविड के बाद के वर्षों में, जीएसडीपी में उच्च वृद्धि के कारण डोमर गैप सकारात्मक हो गया। कोविड के बाद के वर्षों में उच्च विकास दर के कारण सकारात्मक डोमर गैप को पिछले वर्ष में तुलना के लिए कम आधार के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।
- डोमर मॉडल विश्लेषण के अनुसार ब्याज दर की वृद्धि महामारी के बाद (2021–22) जीएसडीपी की वृद्धि दर से कम है। फिर भी, डोमर गैप की जांच करने पर, वास्तविक ब्याज दर 2019–20 और 2020–21 में वास्तविक आर्थिक विकास दर से आगे निकल गई है। हालाँकि, 2021–22 और 2022–23 के दौरान ऋण स्थिरता (जी—आर > 0) की स्थिति को संतुष्ट करते हुए प्राथमिक अधिशेष में वृद्धि के साथ डोमर गैप फिर से सकारात्मक हो गया। राज्य की ऋण स्थिरता/स्थायित्व का आकलन करने में डोमर गैप को लोक लेखे की देनदारियों (₹17,745.64 करोड़), ऑफ-बजट उधार (₹7,161.32 करोड़) जैसे अन्य कारकों के साथ भी देखा जाना चाहिए। इसलिए, केवल 2021–22 और 2022–23 में डोमर गैप को देखकर मजबूत आर्थिक विकास के प्रवृत्ति (जी—आर > 0 के रूप में व्यक्त) को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है।

(स) राजकोषीय समेकन रोडमैप (एफसीआर) में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण नीचे दिखाया गया है:

तालिका 2.38: एफआरबीएम/एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि

राजकोषीय पैरामीटर	एफसीआर में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि				
	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	लक्ष्य	1.32	0.32	0.67	(-)0.96
	उपलब्धि	0.21	(-)2.79	(-)1.97	1.14
राजकोषीय घाटा (–)/ आधिक्य (+) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	लक्ष्य	(-)3.50	(-)5.00	(-)5.00	(-)4.56
	उपलब्धि	(-)2.54	(-)5.21	(-)4.55	(-)1.50
जीएसडीपी से कूल बकाया देनदारी का अनुपात (प्रतिशत)	लक्ष्य	18.06	21.23	21.59	28.34
	उपलब्धि	20.41	22.84	25.75	22.42
स्रोत: वित्त लेखे, एफआरबीएम और मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य					

➤ राजस्व आधिक्य—जीएसडीपी का अनुपात 0.21 से बढ़कर 1.88 हो गया, राजकोषीय घाटा—जीएसडीपी (–)2.54 से घटकर (–)1.03 हो गया और बकाया समग्र देयता—जीएसडीपी 20.41 से बढ़कर 20.46 हो गया। राज्य शासन 2018–19 से 2020–21 तक एमटीएफपीएस में निर्धारित राजस्व आधिक्य/घाटा—जीएसडीपी और बकाया समग्र देयता—जीएसडीपी के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रही, जबकि 2021–22 और 2022–23 में यह लक्ष्य के भीतर थी। राजकोषीय घाटा—जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019–20 को छोड़कर जहां यह निर्धारित सीमा से अधिक था, वर्ष 2018–23 में लक्ष्य के भीतर रहा।

इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय में 2018–19 में 41.31 प्रतिशत से 2022–23 में 42.94 प्रतिशत तक लगातार वृद्धि हुई है। हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में औसत प्रतिबद्ध व्यय पिछले पाँच वर्षों में लगभग 48 प्रतिशत रहा है, जिससे ऋण भुगतान सहित अन्य उद्देश्यों के लिए राजस्व संसाधनों की सीमित उपलब्धता दिखाई देती है।

राजकोषीय स्थिरता जोखिम:

- (क) **तालिका 2.36** से यह देखा जा सकता है कि ऋण स्थिरीकरण संकेतक वर्तमान में निर्णायक रूप से बढ़ने के बजाय स्थिर है। ऋण स्थिरीकरण संकेतक, जिसमें क्वांटम प्रसार और प्राथमिक घाटा शामिल है, की अवधि (2019–21) में गिरावट आई और तब से महामारी के बाद के वर्ष में धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई है। हालाँकि, यह अभी तक ऋण स्थिरीकरण की स्थिति में नहीं पहुँच पाया है। इसके अलावा, महामारी के बाद लोक ऋण और जीएसडीपी का अनुपात में सुधार से पता चलता है कि ऋण की स्थिति खराब नहीं हो रही है, लेकिन यह अभी तक एक सीमा तक नहीं पहुंची है।
- (ख) डोमर मॉडल विश्लेषण के अनुसार, वास्तविक ब्याज दर की वृद्धि आम तौर पर जीएसडीपी की वृद्धि दर से कम है। यह इंगित करता है कि जीएसडीपी दर और ब्याज दर अल्प से मध्यम अवधि में एक समान नहीं होंगी।
- (ग) वृहद राजकोषीय मापदंडों के अनुसार, राज्य सरकार 2022–23 में राजस्व घाटा/आधिक्य—जीएसडीपी, राजकोषीय घाटा—जीएसडीपी और बकाया देयता—जीएसडीपी के लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम थी।

उपरोक्त के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण/जीएसडीपी अनुपात में उतार-चढ़ाव रहा है और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि ऋण स्थिरीकरण के पथ पर है।

2.7.1 आगामी वर्षों में अदायगी के लिए बकाया लोक ऋण की प्रवृत्ति

राज्य शासन के उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होते हैं। राज्य शासन विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और राजकोषीय देनदारियों की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार लेती है।

वित्त खातों के अनुसार, वर्तमान ऋण देनदारियों पर अगले 10 वर्षों में पुनर्भुगतान के लिए बकाया ऋण स्टॉक का मूलधन नीचे तालिका 2.39 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.39: अगले 10 वर्षों में पुनर्भुगतान के लिए बकाया लोक ऋण (मूलधन)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	पुनर्भुगतान के लिए बकाया लोक ऋण (मूलधन)		
		राज्य शासन के आंतरिक ऋण	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	योग
1	2022–23	9,370.39	230.33	9,600.72
2	2023–24	7,204.78	418.64	7,623.42
3	2024–25	9,045.96	229.60	9,275.56
4	2025–26	11,042.56	239.49	11,282.05
5	2026–27	10,422.30	235.39	10,657.69
6	2027–28	12,112.54	237.76	12,350.30
7	2028–29	7,798.03	231.36	8,029.39
8	2029–30	8,223.36	214.49	8,437.85
9	2030–31	2,256.48	194.27	2,450.75
10	2031–32	120.44	184.79	305.23
11	2032–33	82.18	183.92	266.10
योग		77,679.02	2,600.04	80,279.06

स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य शासन ने आंतरिक ऋण के विरुद्ध ₹9,370.39 करोड़ और केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिमों के विरुद्ध ₹230.33 करोड़ का मूलधन पुनर्भुगतान किया। इसके अलावा, राज्य शासन को 2023–24 से 2032–33 तक आंतरिक ऋण के विरुद्ध ₹68,308.63 करोड़ और केंद्र सरकार से लिए गए ऋणों और अग्रिमों के विरुद्ध ₹2,369.71 करोड़ की मूलधन अदायगी करनी होगी। पुनर्भुगतान के लिए बाजार ऋणों का बकाया मूलधन और संभावित ब्याज नीचे तालिका 2.40 में दिखाया गया है।

तालिका 2.40: पुनर्भुगतान के लिए बाजार ऋणों का बकाया मूलधन और संभावित ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	31 मार्च 2023 तक पुनर्भुगतान के लिए बकाया बाजार ऋण		
		मूलधन	संभावित ब्याज	योग
1	2022–23	4,200.00	4,656.50	8,856.50
2	2023–24	5,700.00	4,380.46	10,080.46
3	2024–25	7,500.00	4,082.17	11,582.17


4	2025–26	9,550.00	3,657.59	13,207.59
5	2026–27	9,200.00	2,866.14	12,066.14
6	2027–28	11,100.00	2,467.15	13,567.15
7	2028–29	7,000.00	1,582.09	8,582.09
8	2029–30	7,680.00	901.48	8,581.48
9	2030–31	2,000.00	690.68	2,690.68
योग		63,930.00	25,284.26	89,214.26

स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

राज्य शासन ने वर्ष 2022–23 के दौरान बाजार ऋणों के विरुद्ध ₹4,200.00 करोड़ की मूलधन अदायगी और ₹4,656.50 करोड़ की ब्याज अदायगी की। इसके अलावा, राज्य शासन को 2023–24 से 2030–31 तक बाजार ऋणों के खिलाफ ₹59,730.00 करोड़ का मूलधन पुनर्भुगतान और ₹20,627.76 करोड़ का संभावित ब्याज पुनर्भुगतान करनी होगी। ₹59,730.00 करोड़ का बाजार ऋण कुल लोक ऋण–मूल घटक ₹70,678.34 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा (85 प्रतिशत) है। बकाया बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 2.21 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.21: पुनर्भुगतान के लिए बकाया बाजार ऋणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे 2022–23

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, वर्ष 2027–28 तक पुनर्भुगतान के लिए वर्षवार बकाया बाजार ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और वर्ष 2027–28 के दौरान चरम पर पहुंच जाएगी, राज्य शासन को आने वाले वर्षों में बढ़ते ऋण पुनर्भुगतान बोझ को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.7.2 उधार ली गई निधि का उपयोग

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। मौजूदा खपत को पूरा करने और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग करना धारणीय/स्थिर नहीं है। वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान उधार ली गई राशि के उपयोग का विवरण और प्रवृत्ति तालिका 2.41 में दिया गया है।

तालिका 2.41: उधार ली गई निधियों के उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	कुल उधारियों ²¹	20,736.52	31,921.72	33,423.87	28,164.36	21,972.42
2	पूर्व उधारियों का पूनर्भुगतान (मूलधन)	6,923.87	19,958.77	19,470.43	21,657.37	19,448.88
3	उधारियों के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष	13,812.65	11,962.95	13,953.44	6,506.99	2,523.54
4	निवल पूँजीगत व्यय	(-)8,898.19	(-)8,561.69	(-)9,019.34	(-)10,499.33	(-)13,314.70
5	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)77.80	200.75	53.62	(-)235.79	31.38
6=1-2-3-4	राजस्व व्यय का हिस्सा जो निवल उपलब्ध उधारियों से हुआ	निरंक	3,602.01	4,987.72	निरंक	निरंक
7	रोकड़ शेष में अधिशेष उधार	4,836.66	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022–23 के दौरान, उधार ली गई धनराशि का 89 प्रतिशत (₹21,972.42 करोड़) का उपयोग पहले के उधार (₹19,448.88 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे विकास गतिविधियों के लिए उधार ली गई धनराशि का केवल 11 प्रतिशत बचा था। वर्ष 2022–23 के दौरान, यदि उधार के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष राशि (₹2,523.54 करोड़) का उपयोग ₹6,382.08 करोड़ के ब्याज भुगतान करने के लिए किया जा रहा है, तो पूँजीगत व्यय के लिए कोई उधार ली गई निधि उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा, ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग वर्ष 2018–19 में 33 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 89 प्रतिशत हो गया, जो इंगित करता है कि उधार ली गई धनराशि मुख्य रूप से पूँजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय ऋण सेवा दायित्वों का निर्वहन करने के लिए किया जा रहा है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल उधारी 2021–22 में ₹28,164.36 करोड़ से ₹6,191.94 करोड़ (21.99 प्रतिशत) घटकर 2022–23 में ₹21,972.42 करोड़ हो गई। इसी तरह, पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 में पहले के उधारों का पुनर्भुगतान ₹2,208.49 करोड़ (10.20 प्रतिशत) कम हो गया।

2.7.3 प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएं

गारंटियां उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर देय आकस्मिक देनदारियां हैं जिनके लिए गारंटी को बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में दी गई कुल सरकारी गारंटी पिछले वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वर्ष 2018–19 से 2022–23 के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में अधिकतम सीमा राशि, बकाया गारंटी और गारंटी के लिए दी गई अधिकतम राशि का विवरण तालिका 2.42 में दिया गया है।

तालिका 2.42: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	गारंटी	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	गारंटियों की बकाया राशि पर लागू अधिकतम सीमा*	18,364.57	20,391.20	30,051.62	30,026.15	40,934.94
2	गारंटी की बकाया राशि	10,769.42	18,459.36	19,836.13	19,499.89	20,957.51
3	गारंटी के लिए दी गई अधिकतम राशि	19,573.79	27,994.79	26,694.79	29,947.50	30,022.50

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटियां नियमावली, 2003 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में गारंटियों की कुल बकाया राशि गत वर्ष

²¹ लोक ऋण और अन्य लोक खाता देनदारियों सहित कुल उधारी

में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के माध्यम से इस सीमा को बढ़ाकर (जुलाई 2020) शत प्रतिशत कर दिया गया।

वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई गारंटी के लिए दी गई अधिकतम राशि लागू सीमा के भीतर थी, हालांकि 2018–19 से 2019–20 के दौरान यह सीमा से अधिक हो गई। वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क ₹75.96 करोड़ के विरुद्ध ₹76.99 करोड़ की गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ।

2.7.4 रोकड़ शेष का प्रबंधन

राज्य शासन अपने अधिशेष नकद शेष को छोटी और लंबी अवधि के भारत सरकार प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष 0049—ब्याज प्राप्तियों के तहत प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट कर दिया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य शासन बड़े पैमाने पर रोकड़ शेष होने के बावजूद बाजार ऋण के लिए सहारा लेती है और इसे उत्पादक उपयोग में लाए बिना रोकड़ शेष के आगे बढ़ने की संभावना है। **तालिका 2.43** वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा रोकड़ शेष और इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.43: रोकड़ शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	01 अप्रैल 2022 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2023 की स्थिति में अंतिम शेष
1	(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
2	कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
3	रिजर्व बैंक में जमा	(-)610.48	215.63
4	“रोकड़ शेष निवेश लेखा” में किया गया निवेश	3,345.39	485.61
5	योग (अ)	2,734.91	701.24
6	(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
7	विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	12.10	12.09
8	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.34	0.34
9	विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	7,174.27	7,334.30
10	योग (ब)	7,186.71	7,346.73
11	योग (अ) तथा (ब)	9,921.62	8,047.97
12	अर्जित ब्याज	28.23	41.70

स्रोत : वित्त लेखे 2022–23

चालू वर्ष के अंत में राज्य शासन का सामान्य रोकड़ शेष वर्ष 2021–22 में ₹2,734.91 करोड़ से ₹2,033.67 करोड़ घटकर वर्ष 2022–23 में ₹701.24 करोड़ हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौते के तहत छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹0.72 करोड़ की आवश्यक न्यूनतम रोकड़ शेष राशि बनाए रखनी है। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम समझौता राशि से कम हो जाता है, तो कमी को साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम या साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सहायता से अच्छा बनाया जाता है। राज्य शासन 350 दिनों के लिए ₹0.72 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में सक्षम थी जबकि 15 दिनों के लिए विशेष आहरण सुविधा लेकर न्यूनतम शेष बनाया गया था। राज्य शासन को वर्ष 2022–23 के दौरान एसडीएफ पर ब्याज के रूप में ₹0.11 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य का रोकड़ शेष निवेश नीचे तालिका 2.44 में दिया गया है।

तालिका 2.44: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष—8673)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	रोकड़ शेष निवेश			
		प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	अर्जित ब्याज
1	2018–19	4,070.85	9,759.02	5,688.17	144.33
2	2019–20	9,759.02	5,246.81	(-)4,512.21	196.10
3	2020–21	5,246.81	3,389.68	(-)1,857.13	29.66
4	2021–22	3,389.68	3,345.39	(-)44.29	28.23
5	2022–23	3,345.39	485.61	(-)2,859.78	41.70

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन के रोकड़ शेष निवेश के अन्तिम शेष की स्थिति वर्ष 2018–19 में ₹9,759.02 करोड़ से घटकर वर्ष 2022–23 में ₹485.61 करोड़ हो गई।

2.8 निष्कर्ष

राज्य शासन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 के दौरान अपनी राजस्व प्राप्तियों में 17.86 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। कर राजस्व में 17.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई और करत्तर राजस्व में 10.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य शासन ने 2022–23 के दौरान राजस्व आधिकर्य (₹8,592.11 करोड़) का लक्ष्य हासिल कर लिया और राजकोषीय घाटे और जीएसडीपी का अनुपात (1.03 प्रतिशत) एमटीएफपीएस के तहत निर्धारित 3.33 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था।

राजस्व व्यय, जो कुल व्यय का 86.41 प्रतिशत है, पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 के दौरान 13.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालाँकि पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 26.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कुल व्यय में इसकी हिस्सेदारी केवल 13.50 प्रतिशत थी। जबकि 2022–23 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 18.64 प्रतिशत था, पूँजीगत व्यय जीएसडीपी का 2.91 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय के प्रति प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2018–19 में 41.75 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 47.27 प्रतिशत हो गया।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2023 तक वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹7,447.77 करोड़) पर केवल 0.08 प्रतिशत का प्रतिफल अर्जित किया।

वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य शासन ने संचित निक्षेप निधि में कम योगदान हस्तांतरित किया, जो कि बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण और लोक लेखा देनदारियों) का 0.46 प्रतिशत था, जबकि इसके न्यूनतम आवश्यक योगदान कम से कम 0.50 प्रतिशत था।

राज्य का समग्र बकाया ऋण—जीएसडीपी अनुपात²² वर्ष 2021–22 में 22.42 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022–23 में 20.46 प्रतिशत हो गया, जो एमटीएफपीएस के तहत 26.41 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था।

लोक ऋण पर ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2021–22 में 6.85 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022–23 में 5.68 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण पुनर्भुगतान से प्राप्ति का अनुपात 2018–19 में 7.97 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 90.24 प्रतिशत हो गई। राज्य की शुद्ध लोक ऋण उपलब्धता में गिरावट ऋण चुकाने के बढ़ते बोझ की ओर संकेत करती है और राज्य के पास विकास गतिविधियों के लिए सीमित धनराशि उपलब्धता के साथ छोड़ती है।

ऋण स्थिरीकरण संकेतक वर्तमान में निर्णायक रूप से बढ़ने के बजाय स्थिर है। ऋण स्थिरीकरण संकेतक, जिसमें क्वांटम प्रसार और प्राथमिक घाटा शामिल है, की अवधि (2019–21) में गिरावट आई और तब से महामारी के बाद के वर्ष में धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई है। हालाँकि, यह अभी तक ऋण स्थिरीकरण की स्थिर स्थिति में नहीं पहुँच पाया है। इसके अलावा, महामारी के बाद लोक ऋण और जीएसडीपी का अनुपात में सुधार से पता चलता है कि ऋण की स्थिति खराब नहीं हो रही है, लेकिन यह अभी तक एक सीमा तक नहीं पहुँची है।

पुनर्भुगतान के लिए वर्षवार बकाया बाजार ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और 2027–28 के दौरान यह चरम पर होगा।

2.9 अनुशंसाएं

- i. राज्य शासन बजट अनुमान की तुलना में पूँजीगत व्यय में कमी के कारणों की समीक्षा कर सकती है, ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जा सके।
- ii. राज्य शासन को वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों से निवेश पर अपर्याप्त प्रतिफल के कारणों का आकलन करना चाहिए और उपचारात्मक उपायों की तलाश करनी चाहिए।
- iii. सरकार को पूँजी परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारणों की समीक्षा और विश्लेषण करना चाहिए और इस संबंध में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को सक्षम करने के लिए शीघ्र उपाय शुरू करने चाहिए।

²² समग्र बकाया ऋण—जीएसडीपी अनुपात की गणना भारत सरकार से प्राप्त बैंक—टू—बैंक ऋण ₹8,074.15 करोड़, जो राज्य शासन को जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले ऋण प्राप्ति के रूप में 2020–22 के दौरान बिना किसी पुनर्भुगतान दायित्व के प्रदान किया गया है, की राशि को छोड़कर बकाया समग्र ऋण पर की गई है।